

ਪੀ. ਐਂਡ ਐਸ. ਬੈਂਕ

ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਅੰਕੁਰ

ਮਾਰਚ 2020



2021

जनगणना से जन कल्याण



ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

ਪੀ. ਐਸ. ਬੀ

(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤਿਕਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂਕ

सुस्वागतम्

बैंक के नए कार्यकारी निदेशक



श्री अजित कुमार दास ने बैंक के नए कार्यकारी निदेशक का पद ग्रहण किया।



श्री अजित कुमार दास, कार्यकारी निदेशक महोदय ने आंचलिक कार्यालय, कोलकाता में पद ग्रहण किया। आंचलिक प्रबंधक श्री कामेश सेठी तथा आंचलिक कार्यालय के समस्त उच्चाधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों ने उनके शुभागमन पर स्वागत किया।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

‘बैंक हाउस’ प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008



जनवरी-मार्च, 2020

मुख्य संरक्षक

एस. हरिशंकर
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संरक्षक

डॉ. फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

श्री गोविन्द एन डोंग्रे
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री अमित श्रीवास्तव
उप महाप्रबंधक सह
मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक एवं प्रकाशक

श्री राजीव कुमार राय
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल

डॉ. नीरू पाठक, प्रबंधक
श्री देवेन्द्र कुमार, प्रबंधक (राजभाषा)
श्री मोहन कुमार, राजभाषा अधिकारी
डॉ. कौशलेन्द्र, राजभाषा अधिकारी

ई-मेल : hindipatrika@psb.co.in

पंजीकरण सं.: एफ. 2(25) प्रैस. 91

(पत्रिका प्रकाशन तिथि : 15/02/2020)

‘राजभाषा अंकुर’ में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिक एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

मुद्रक : सुधीर प्रिन्टर्स

151, देशबंधु गुप्ता मार्केट,
करोल बाग, नई दिल्ली - 110005
फोन: 011-23522683, मो. 9810334493
ई-मेल: sudhirprinters1971@gmail.com

विषय-सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	विषय सूची	1
2.	संपादकीय	2
3.	सेवानिवृत्ति	3
4.	मेरी बिटिया (अंग्रेजी)	4
5.	मेरी बिटिया (हिंदी)	5
6.	उद्घाटन / प्रश्नमंच	6
7.	महिला दिवस	7
8.	महिला सशक्तिकरण	8-9
9.	मेट्रो में बैंक	9
10.	संस्कार	10-11
11.	हिंदी एवं अन्य भाषाओं की अस्मिता का प्रश्न	12-14
12.	मेरी बैंकिंग यात्रा	15
13.	वह अकेली	16-17
14.	नारी	18
15.	शिवधनुष	19
16.	ग्राहक के मुख से.....	20
17.	नराकास उपलब्धियाँ	21
18.	आओ खेले	22-23
19.	हमें इन पर गर्व है	24
20.	जरा सोचिए.....?	25
21.	काव्य-मंजूषा	26-27
22.	हिंदी को संपर्क बनाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका	28-31
23.	सुल्तान	32-35
24.	कार्टून कोना	35
25.	कायाकल्प	36-37
26.	बंजारा	38-40
27.	हिंदी कार्यशाला / मानव की व्यथा	41
28.	महिला सशक्तिकरण	42-43
29.	हमारी परंपरा	44



संपादकीय

साथियो,

राजा भृतहरि के नीतिशतक का श्लोक है -

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता ।

अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। हम अपने बैंक की “राजभाषा अंकुर” पत्रिका का जनवरी-मार्च 2020 अंक “महिला-सशक्तिकरण” विशेषांक की संकल्पना के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा देश पुरातन काल से ही मातृभूमि एवं मातृशक्ति का अधिष्ठाता रहा है किंतु बीच में संक्रमण काल का दौर भी आया, जब नारी को विभिन्न कुप्रथाओं तथा कुविचारों का शिकार होना पड़ा। आज भी लैंगिक असमानता के कारण समाज में संतुलन बिगड़ रहा है किंतु नारी जिस सृजन शक्ति को धारण किए हुए है उसके आगे समस्त सृष्टि नतमस्तक है। चाहे पुरातन काल हो या वर्तमान, स्वतंत्रता संग्राम हो या आधुनिक समाज, धार्मिक आंदोलन हो या समाज सेवा, नारी ने चहुँमुखी प्रतिभा के बल पर अपनी उपस्थिति प्रत्येक क्षेत्र में दर्ज कराई है।

प्रस्तुत अंक में विभिन्न लेख, कहानियों एवं कविताओं के माध्यम से नारी के बहु-आयामी व्यक्तित्व को साकार कर रहे हैं। इस अंक का विशेष आकर्षण है, माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. हरिशंकर की स्वरचित अंग्रेजी कविता, जो उन्होंने अपनी पुत्री के लिए लिखी। इसके साथ पत्रिका में आरंभ किया गया स्तंभ “ग्राहक के मुख से” बैंक तथा ग्राहक के रिश्तों को सुदृढ़ करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ ही पत्रिका, अपने राजभाषा संबंधी दायित्वों का निर्वहन करते हुए नराकास उपलब्धियाँ, हिंदी कार्यशाला, राजभाषा समाचार आदि प्रकाशित कर रही है। पत्रिका में दिए गए सूत्र-वाक्य भी आपका ज्ञानवर्धन करेंगे। पत्रिका के बहुआयामी विकास के लिए आप सभी की सहभागिता आवश्यक है।

आशा है ‘राजभाषा अंकुर’ का यह अंक भी आपको पसंद आएगा। पत्रिका आपको कैसी लगी, कृपया हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं जिससे पत्रिका को और सुरुचिपूर्ण बनाया जा सके।

अमित श्रीवास्तव

अमित श्रीवास्तव

उप महाप्रबंधक

सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

सेवानिवृत्ति



बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री गोविंद एन डोंग्रे जी को दिनांक 31.03.2020 को बैंक-सेवा से सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा बैंक के अन्य उच्चाधिकारीगण उपस्थित रहे। श्री गोविंद एन डोंग्रे ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक में अक्टूबर-2017 को कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। बैंक में उनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष 05 माह का रहा।



बैंक के महाप्रबंधक श्री जे.के.नायक ने सन 1983 में पंजाब एण्ड सिंध बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपनी बैंकिंग यात्रा प्रारंभ की थी। अपनी 37 वर्ष की बैंकिंग सेवा अवधि में विभिन्न पदों पर पदोन्नत होते हुए प्रधान कार्यालय राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली में महाप्रबंधक के पद से दिनांक 31.03.2020 को सेवानिवृत्त हुए।

जीवन के नए अध्याय की शुरुआत के लिए हमारे दोनों प्रेरणास्रोतों को बहुत-बहुत बधाई। साथ ही मार्च-2020 में सेवानिवृत्त हुए बैंक परिवार के समस्त साथियों को शुभकामनाएं। बैंक परिवार आप सभी के स्वस्थ, उज्ज्वल तथा समृद्ध सेवानिवृत्त जीवन की कामना करता है।



शुभकामनाओं सहित।

“पंजाब एण्ड सिंध बैंक”



To you my dear Daughter

When you look at me
Your thoughts reflecting in your eyes
Culing your lips
Weaving emotions on your cheeks
Speaking before your words
Starting to speak
With that slant of your head
Giving away your
Care, concern, dissent or assent
Beholding an irrepressible joy
Or sealing a quivering sob
Suppressing a whirlwind
Blowing in your inner conflicts
Or the overflow of serenity
That smothers all pains

You my dear one
On your fluttering wings
Sprinkled with all the soothing
Colours of my world
Fly out into the
Openness of my expanding gaze
Out into the limitless bonding
Connecting the worlds
Supernal and here

Tears roll down my eyes
When they cry, "save you"
For my child you, by being born
Made the invisible visible
Inaudible audible, untouched touched
Unworthy worthy and
A forlorn world the reason to live

You saved the world
In your own inimitable ways
Show us the way dear child
We are lost in our own convolutions

S.Hari Shanker
(Managing Director & Chief Executive Officer)



अंग्रेजी कविता का
हिन्दी रूपांतर

मेरी प्यारी ब्रिटिया तुम्हारे लिए.....

जब मुझे देखती हो तुम,
आँखों में झलकते हैं तुम्हारे विचार
तुम्हारे हिलते होठों का,
शब्दों का रूप लेने से पहले ही
गालों पर उभरते जज्बात,
सिर को थोड़ा सा झुकाना
ब्यां कर देता है
तुम्हारा चिंता, तुम्हारा लगाव,
तुम्हारी स्वीकृति, तुम्हारी अस्वीकृति
अदम्य उत्साह का दृष्टिबोध
या सिसकियों के स्पंदन का दमन
चक्रवात को पराजित करते हुए,
अपने ही अंतर्द्वन्द में बहना
और असीम शांति का उत्प्लवन
कर देता है सभी दर्दों का शमन ।
ओ, मेरी प्रिय, तुम्हारा पंखों को फैलाना
और मेरे जीवन में शांति के रंगों को बिखेरना
एकटक तुम्हें निहारने की निर्मलता
तुमसे ये असीम जुड़ाव
मुझे जोड़ता है यहाँ और उस दैवीय संसार से ।
जब वे चिल्लाए, “तुम्हें बचाओ”
मेरी आँखों से आंसू बहते गए



ओ मेरी बच्ची, तुम्हारे जन्म ने
अदृश्य को किया दृश्य, अश्रव्य को किया श्रव्य
अस्पृश्य को किया स्पृश्य, अयोग्य को किया योग्य
और मेरे सूने संसार को किया, आनंद से सराबोर।

तुमने ही संसार को बचाया
अपने अनुपम तरीकों से
ओ मेरी प्रिय पुत्री तुमने ही हमें दिखाया रास्ता
जब हम भूल गए सभी रास्ते अपनी ही बनायी
जीवन की भूलभूलैया में।

डॉ. नीरू पाठक
प्रधान कार्यलय, राजभाषा विभाग



उद्घाटन



बैंक के प्रधान कार्यालय में महिला चिकित्सा कक्ष की स्थापना की गई। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस.हरिशंकर जी, कार्यकारी निदेशक श्री गोविंद एन डोंग्रे जी, महाप्रबंधक सुश्री हरविन्द्र सचदेव, उपमहाप्रबंधक श्री लक्ष्मण सिंह भंडारी, सहायक महाप्रबंधक श्री विमल कुमार अत्रेय तथा बैंक की अन्य महिला सहकर्मी भी उपस्थित थी।

प्रश्नमंच

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधान कार्यालय में प्रश्नमंच का आयोजन किया गया। जिसमें अधिकतर प्रश्न देश की महिलाओं से संबंधित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बैंक के कार्मिकों ने भागीदारी की।



देश के किसी राज्य के मंत्रिमण्डल में प्रथम महिला मंत्री - **विजय लक्ष्मी पंडित** (सयुक्त प्रांत, 1937)

महिला दिवस

प्रधान कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. हरिशंकर जी द्वारा की गई। समारोह को कार्यकारी निदेशक श्री गोविंद एन डोंग्रे जी, महाप्रबंधक सुश्री हरविन्द्र सचदेव तथा अन्य उच्चाधिकारियों ने विशेष रूप से सानिध्य प्रदान किया। इस अवसर पर श्री एस. हरिशंकर जी ने कार्मिकों को संबोधित किया तथा अपनी पुत्री के लिए स्वरचित कविता सुनायी जिसने सबका मन मोह लिया। श्री गोविंद एन डोंग्रे जी तथा सुश्री हरविन्द्र सचदेव ने भी कार्मिकों को संबोधित किया। मंच का संचालन डॉ. नीरू पाठक ने किया। महिला स्टाफ सदस्यों ने भक्ति गीत सुनाया तथा सुश्री नम्रता उपाध्ये ने अपने संस्मरण सुनाए। अंत में श्री लक्ष्मण सिंह भंडारी, उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.विभाग) ने धन्यवाद ज्ञापित किया।



महिला सशक्तिकरण

“सम्मान, प्रतिष्ठा एवं प्यार, महिला सशक्तिकरण के है आधार”

विकल्पों के सृजन और उन विकल्पों को इच्छित कार्यों एवं परिणामों में रूपांतरित करने हेतु व्यक्तियों या समूहों की क्षमताओं में वृद्धि करने की प्रक्रिया ही सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण अर्थात् महिलाओं को शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व मानसिक रूप से सम्पन्न बनाना। समाज में उसे एक सम्मानित स्थान देना। कॉफी अन्नान के अनुसार “महिला सशक्तिकरण से अधिक प्रभावी विकास का कोई साधन नहीं है।”

महिला सशक्तिकरण वास्तव में महिलाओं की उस क्षमता को प्रदर्शित करता है, जिससे उनमें ये योग्यता आ जाती है कि वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सकें और एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकें जिसमें उपस्थित परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय की निर्माता वे स्वयं बनें। आज पूरी दुनिया के अलग-अलग मंचों से लगातार यह बात गुंजायमान हो रही है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें पुरुषों के समान सभी क्षेत्रों में बराबरी का अधिकार दिया जाए। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए विश्वभर की महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना को निहित करने हेतु विश्व ‘8 मार्च’ को प्रत्येक वर्ष “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस” के रूप में अंगीकार करता है। भारत सरकार ने भी इस मिशन में अपनी भागीदारी दर्शाते हुए अलग विभाग की रचना भी की है। जिसे “महिला विकास विभाग” नामक संज्ञा से विभूषित किया गया है।

प्राचीन काल में भी कुछ भारतीय समाज सुधारकों जैसे ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, आचार्य विनाबा भावे, स्वामी विवेकानंद आदि ने रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म कर महिला उत्थान के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। महिलाओं को सशक्त बनाने की कहानी को दुनिया ने पूर्व में जहाँ मैडम क्यूरी, बेगम खालिदा जिया, बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गाँधी आदि के रूप में देखा वही वर्तमान में एंजला मार्केल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा नुई, सुनीता विलियम्स, अरूंधती राय, निर्मला सितारमण, मैरी कॉम, पी.वी. सिन्धु आदि के

रूप में देख रही है। आज विश्वभर में महिलाएँ राजनीति, खेल, कला, विज्ञान, समाज, अर्थव्यवस्था जैसे सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इसी संदर्भ में ये कहना अतिशयोक्ति न होगी:-



“कल्पना चावला बनकर नारी अंतरिक्ष माप चुकी है,

आज के वक्त में वह हर बाधा काट चुकी है।”

हमारे समाज ने महिलाओं को धार्मिक संस्थाओं का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं दिया किंतु संविधान निर्माताओं ने उनकी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए अन्य सभी क्षेत्रों में समान अधिकार दिए। एक नारी मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती, मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती, चर्च की पादरी नहीं बन सकती किन्तु एक नारी सांसद, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कलेक्टर, सचिव आदि सभी उच्च पदों पर आसीन हो सकती है। हमारे ही देश में महिलाओं द्वारा संचालित एक आध्यात्मिक संस्था “प्रजापिता ब्रहमाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय” जिसमें सभी मुख्य पद महिलाओं द्वारा ही सुशोभित है, पूरे विश्व में अमन, शान्ति व भाईचारे का पैगाम दे रही है।

शहरी क्षेत्र में महिलाएँ अब इतनी सशक्त हो चुकी हैं कि विश्व का प्रतिनिधित्व कर पाने में भी वे पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने पत्नी, पुत्री, बहन इन सभी रिश्तों की मर्यादाओं में खुद को जहाँ बाँधे रखने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है वहीं आज उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को बल प्रदान करने वाले मोर्चों पर भी दस्तक दे दी है। उससे मिली सफलता इस बात की ओर इशारा करती है कि महिलाओं के अंदर सीमित क्षमताएँ इतनी असीम हैं कि समाज द्वारा उन्हें रोकने के लिए चाहे जितने प्रयास किए जाएँ, मुश्किलें उनका रास्ता नहीं रोक सकती।

भारतवर्ष के सुदूर व ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ समय में सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। 2019 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2013 के बाद से अब तक मातृ मृत्युदर में लगभग 25 प्रतिशत की कमी आई है। कन्या, भ्रूण हत्या व महिला अपराधों



भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री - इंदिरा गांधी (1966)

का भी प्रतिशत कम हुआ है। 2012 में निर्भया काण्ड के बाद रेप, हिंसा, छेड़छाड़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कानूनों को सख्त बनाया गया है। आर्थिक मोर्चे पर महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश जारी है। इसी प्रयास को बेहतर दिशा देने हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वैभव लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आन-लाइन शिकायत प्रणाली व पैनिक बटन जैसे प्रयोग से उनकी सुरक्षा बढ़ी है। ट्रिपल तलाक की अशक्तता भारत की केंद्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए स्लोगन 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' को अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना व प्रोत्साहन मिला है।

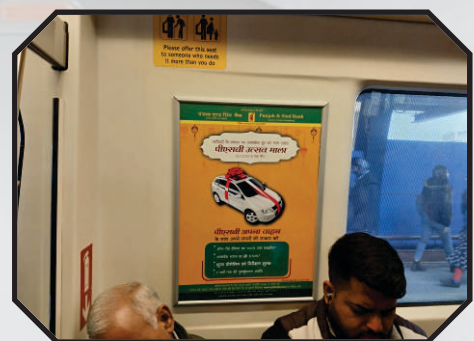
6 दिसम्बर, 2019 को माननीय राष्ट्रपति जी ने महिला सशक्तिकरण विषय पर "ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय" माउण्ट आबू में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनके विकास में ही राष्ट्र का विकास सम्भव है। आगे बढ़ाकर ही समाजिक परिवर्तन सम्भव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी महिलाओं को सम्मान दिलाने हेतु मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। राष्ट्रपति जी ने लोगों का आह्वान किया कि वे नारी के प्रति भेदभाव व अत्याचार की समाप्ति के लिए आगे आएँ। वर्तमान संसद

में 78 महिलाओं का चुना जाना समाज में उनके सशक्तिकरण की ओर बढ़ते हुए कदम को दर्शाता है। आज देश में दस लाख से अधिक महिलाएं पंचायती राज में जिम्मेदारी संभाल रही हैं। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में 52 फीसदी खाते महिलाओं के हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रति हजार बेटों पर 1005 बेटियाँ होना आदि नारी सशक्तिकरण के ज्वलन्त उदाहरण हैं।

आज महिलाएँ अपनी प्रतिभा के बल पर नित नए आयाम स्थापित कर रही हैं। घर के कार्य से लेकर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में अपना भरपूर योगदान दे रही हैं। हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने अस्तित्व का बोध करा रही हैं। यह सारी उपलब्धियाँ शहरी क्षेत्रों में तो दृष्टिगोचर होती हैं, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रतिशत कम है। हम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि भारत सरकार द्वारा महिला उत्थान व सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों व योजनाओं से महिलाओं को अवगत कराया जाए। जिसका यथाशक्ति व यथासमय उपयोग करके एक विकसित देश को बनाने में वे अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा।

“महिला शक्ति अविश्वसनीय है इसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता।”

आंचलिक कार्यालय
लखनऊ



देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री - **जानकी रामचंद्रन** (तमिलनाडु 1987)



संस्कार

उम्र के 58वें पड़ाव ने मुझे एक अजीब से दर्द ने पकड़ लिया। सुनने में आया कि यह दर्द सिर्फ बड़े लोगों को ही होता है। आखिरी बार जब मैंने इसके बारे में सुना था तो यह सचिन तेंदुलकर साहब को हुआ था। दर्द का नाम है टेनिस एल्बो। बस जब से यह दर्द शुरू हुआ तो एक गिलास पानी का भी नहीं उठाया जाता। आस पड़ोस में लोगों से पूछा तो पता लगा कि ये दर्द अक्सर महिलाओं को हो जाता है परंतु कभी कभी पुरुष भी इसका शिकार हो जाते हैं। मुझे राय दी गई कि एक अच्छे फिजिओथेरेपिस्ट की तलाश कीजिये। टेनिस एल्बो का अच्छा इलाज फिजिओथेरेपिस्ट ही कर सकता है।

लिहाजा हमने अपनी जान पहचान वालों से कहा कि कोई अच्छे फिजिओथेरेपिस्ट से हमारा संपर्क करवाया जाए। हमारी मित्र मंडली में खबर आग की तरह फैल गई सबने “गेट वेल सून्” के व्हाट्स ऐप मैसेज डालने शुरू कर दिये। हमने भी उसी स्वर में अपना दर्द सहते हुए अभिनंदन किया। नालायकों कोई अच्छे फिजिओथेरेपिस्ट से संपर्क करवाओ आपकी दुआएं तब ही काम करेंगी।

जब सबने हमसे मुँह मोड़ लिया तो हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी ने हमें बताया कि घर के पास ही एक अच्छी फिजिओथेरेपिस्ट हैं नाम है डॉक्टर सुनीता। वह कई दिनों से अपने घर से ही फिजिओथेरेपिस्ट का काम करती हैं। मैं उनका टेलीफोन नंबर तो नहीं जानती परंतु शाम को मैं उनके घर के पास काम करने जाती हूँ आपके टेलीफोन नंबर पर बात करवा दूँगी।

उस दिन शाम को मुझे डॉक्टर सुनीता का कॉल आया तो मैंने अपने टेनिस एल्बो के बारे में उन्हें जानकारी दी। मैंने उन्हें बताया कि मैं नौकरी में हूँ और शाम के समय ही अपना इलाज करवा सकता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं वे समय देकर ही कार्य करती हैं लिहाजा आप शाम को ऑफिस के बाद करीब 7 बजे तक दिए गए पते पर पहुँच जाएं।

उस दिन शाम को मैं डॉक्टर सुनीता के क्लीनिक में पहुँच गया और अपने दर्द के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि टेनिस एल्बो बहुत कॉमन सी समस्या है और फिजिओथेरेपी से इसका इलाज आसानी से हो जाएगा। हाँ, आपको इस बात को गम्भीरता से लेना होगा और वो जो भी व्यायाम करने को कहें उसे सुबह और शाम अवश्य करें।

अब मेरे दर्द की समस्या का निदान नजदीक लगने लगा था और मैं धीरे-धीरे अच्छा महसूस करने लगा था। बातों बातों में मुझे पता लगा कि डॉक्टर साहिबा का एक पुत्र बोर्ड के इम्तिहान में बैठ रहा था तो मैंने पूछ लिया कि वे अपने बच्चे को भविष्य में क्या बनाना चाहती हैं। मैं सोच रहा था कि वो शायद कोई सरकारी नौकरी का जिक्र करेंगी लेकिन उनके जवाब ने मुझे असमंजस में डाल दिया।

डॉक्टर सुनीता ने बताया कि उनका लड़का सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। वह अमेरिकन सिटिजन है। वस्तुतः उनके समस्त परिवार की नागरिकता अमेरिका की है। वे अपना अच्छा भला चलता हुआ फिजिओथेरेपिस्ट का काम अमेरिका से छोड़ कर भारत आई हैं। उनके

पति भी अपना व्यवसाय छोड़ कर भारत में आए हैं। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण उनको बसा बसाया कार्य छोड़ कर भारत में आना पड़ा। उनके उत्तर ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैं बहुत गंभीर मुद्रा में उनका उत्तर सुनता रहा और मुश्किल से अपने आँसुओं को रोक पाया।

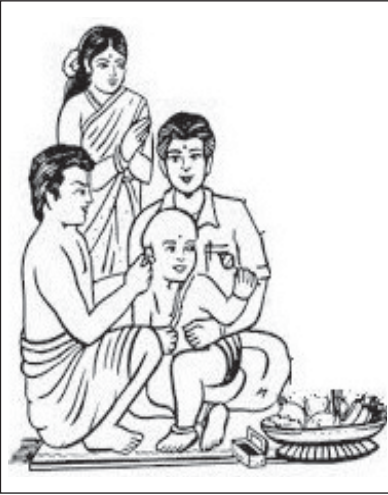
डॉक्टर सुनीता ने बताया कि वे बहुत तन्मयता से अमेरिका में अपने फिजिओथेरेपिस्ट के काम में लगी थी। तभी उन्हें एक एहसास होने लगा कि उनके ज्यादातर मरीज बुजुर्ग और बड़ी उम्र के लोग हैं जो



कैप्टन प्रकाश चन्द्र



भारत की प्रथम महिला न्यायिक अधिकारी (मुसिफ) - अन्ना चांडी (भू. पू. श्रावणकोर राज्य 1937)



या तो परिवार से अलग हैं या उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है। ज्यादातर बुजुर्ग अकेलेपन और अनदेखी का शिकार हैं। उन्हें अपने काम में खिन्नता लगने लगी और वे अवसाद का शिकार होने लगी। उन्हें बार-बार यह विचार सताने लगा कि क्या एक दिन उनके बच्चे भी उनको अकेला छोड़ देंगे। उन्होंने

इस समस्या का अपने पति से जिज्ञा किया और फिर पति पत्नी ने एक निर्णय लिया कि चाहे उनकी नागरिकता अमेरिका की सही उनके बच्चों को भारतीय संस्कृति और संयुक्त परिवार के बारे में जानना होगा। पति-पत्नी ने भारत आकर बच्चों को पढ़ाने तथा भारतीय परम्पराओं की जानकारी देना आवश्यक समझा। दोनों एक बसा-बसाया घर और व्यवसाय छोड़ कर बच्चों सहित भारत आ गए। शुरू-शुरू में सबको परेशानियों का सामना करना पड़ा। बच्चों को अपनी अमेरिकन भाषा शैली का परित्याग करने में विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा और पति-पत्नी को अपनी रोजी-रोटी के लिए नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। डॉक्टर सुनीता तब तक ग्रहणी का कार्य करती रही जब तक उनके पति अपने रोजगार में पूरी तरह से स्थापित नहीं हो गए और जब वे पूर्ण रूप से स्थापित हो गए तो उन्होंने ने पति से अपना फिजिओथेरेपिस्ट का कार्य शुरू करने की इजाजत मांगी। कुछ सालों तक उन्होंने घर के पास ही एक मन्दिर से निस्वार्थ भावना से फिजिओथेरेपिस्ट का कार्य किया और जब उन्हें लगा कि उनका कार्य उनके घर के काम में अड़चन पैदा कर रहा है तो उन्होंने घर से ही कार्य शुरू कर दिया इस तरह वे घर पर भी समय दे रही हैं और फिजिओथेरेपिस्ट का काम भी बखूबी से कर रही हैं।

मुझे लगा अगर पैसा कमाना उनका मकसद होता तो वे अमेरिका में खूब कमा रही थी लेकिन प्रतीत होने लगा पैसे से ज्यादा उनकी ऊर्जा इंसान को खुशी देने में रहती है, क्योंकि जब किसी का दर्द दूर करना हो तो दर्द का मर्ज जानना जरूरी है और उसके लिए एक

सकारात्मक ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। तभी तो महज 7 दिन में मैंने अपने आप को पूर्णतः दर्द से मुक्त पाया।

अपने उपचार के आखिरी दिन डॉक्टर सुनीता ने मुझे उनके पास आने के लिए धन्यवाद दिया। मैं उनके इस भावनात्मक विदाई का जवाब नहीं दे पाया लेकिन मैंने उनसे कहा मैं लेखक हूँ और थोड़ा बहुत लिखता हूँ और उनके परिवार और उनके विचारों को मैं कुछ लोगों तक ही सही जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज डॉक्टर सुनीता महसूस करती हैं कि जिस मकसद से उन्होंने भारत आना चाहा था वह पूरा हो रहा है। उनके बच्चे रिश्तों और रिश्तेदारों को जानने लग गए हैं। उनके इर्द-गिर्द अब उनके दोस्त हो गए हैं। उन्हें विश्वास है अब वे अकेले नहीं रहेंगे और अगर वे अमेरिका भी चले गए तो अपनी विरासत को साथ लेकर जाएंगे। वे अपनी जड़े ढूँढने भारत जरूर आएंगे उन दोस्तों और उन रिश्तेदारों से मिलने आएंगे जिनके साथ उन्होंने भारत में अपना वक्त गुजारा और अपनी संस्कृति को जाना।

लेख को खत्म करते हुये मैं एक बार डॉक्टर सुनीता और उनके परिवार के भारत की इस अनोखी यात्रा के लिए नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ विदेशों में और स्वदेश में बसे हमारे अनेक भारतवासी उनका अनुसरण करेंगे। आजकल के फास्ट फारवर्ड जमाने में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, लोग एकाकी जीवन जीने को मजबूर हैं। बच्चे रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। कुछ समय के लिए ही सही बच्चे विदेश की आसान संस्कृति को अच्छा मानने लगते हैं इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं उनके माता-पिता। जो कुछ दिन इस घमंड में बिताते हैं कि उनका बच्चा विदेश में है और बाकी इस नीरसता के साथ कि काश कोई अपना उनकी देख-रेख करने वाला होता। इस कमी को दूर करने का एक प्रयास डॉक्टर सुनीता ने किया। लेख इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि हम भारतीय लोग विदेशों में रह कर अपने बच्चों को अपने संस्कारों से वंचित न होने दें और जो देश में हैं वे हमारी इस संस्कृति को विलुप्त न होने दें। आज एक कोरोना जैसी महामारी ने दुनिया को इतना तो बता ही दिया है कि हाथ जोड़ कर अभिवादन करना, हाथ मिलाने की तुलना में सबसे स्वस्थ और अच्छा सलीका है।

प्रधान कार्यालय, जन संपर्क विभाग

हिंदी एवं अन्य भाषाओं की अस्मिता का प्रश्न

भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। लेकिन सच तो यह है कि भाषा केवल विचारों या भावनाओं की आदिवाहिनी नहीं है। वह संस्कृति की आदिवाहिनी भी है। भाषा और संस्कृति में गहरा संबंध है। संस्कृति से आशय है- 1. समाज को संस्कार कर देने वाली शक्ति 2. समाज के संस्कार या व्यवहार 3. संस्कृति का प्रसार करने वाले माध्यम जैसे संगीत, नृत्य, नाटक आदि और 4. जीवन के सिद्धांत तथा मूल्य। प्रत्येक समाज और राष्ट्र की अपनी भाषा होती है। हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अन्य भाषाओं से शब्द ले सकते हैं मगर इतने नहीं कि

हमारी भाषा ही भ्रष्ट हो जाए। मातृभाषा का अपना विशिष्ट स्थान है। व्यक्ति की पहचान बनाए रखने में मातृभाषा की अपनी भूमिका होती है। अपनी भाषा को पढ़ने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस संस्कृति से हमारी भाषा जुड़ी होती है, उसी का साहित्य, जीवन-शैली और दर्शन हमारा हो जाता है। बिना मातृभाषा पर अधिकार के कोई अपने देश की मिट्टी से नहीं जुड़ सकता। पराई भाषा आर्थिक समृद्धि का आधार तो बन सकती है पर अपनी माटी का चिन्तन नहीं दे सकती। जिस भाषा में अपनी माटी की सुगन्ध न हो, वह अपनी ही धरती पर व्यक्ति को पराया कर देती है

भारत में एक कहावत है कि 'कोस-कोस पर पानी बदले और तीन कोस पर वाणी'। अर्थात् प्रत्येक एक कोस पर पानी की प्रकृति बदल जाती है ठीक इसी प्रकार प्रत्येक तीन कोस पर भाषा बदल जाती है। भारत में संविधान में मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाओं के साथ-साथ लगभग 1500 बोलियाँ, उपबोलियाँ जनसामान्य के परस्पर आदान-प्रदान की अभिव्यक्ति करती है। इन भाषाओं के क्षेत्रीय और स्थानीय स्वरूप पूरे देश के जनसामान्य को प्रभावित करते हैं। यहीं से हमें शक्ति और ऊर्जा मिलती है। हमारे लोकमानस और हमारी लोकसंस्कृति यहीं से अनुप्रमाणित होती है। इन्हीं से

हमारे संस्कार पनपते हैं। जिसके प्रकाश से भारतीय संस्कृति फलीभूत होती है। हिंदी भाषा सांस्कृतिक एवं भावनात्मक एकता के लिए संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम करती है। किसी भी समाज का निर्माण व्यक्तियों की भावनात्मक लगाव पर निर्भर करता है। भावनात्मक अभिव्यक्ति का आधार होती है।



रश्मिता कवात्रा



“सांस्कृतिक एकता का आधार अस्मिता बोध होता है और अस्मिता का भाषा के साथ गहरा संबंध है। अस्मिता का अर्थ है-पहचान तथा भाषाई अस्मिता का अर्थ है भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान का होना। अंग्रेजी भाषा में इसे आइडेंटिटी कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज की भाषा एक-दूसरे से भिन्न होती है। यह भिन्नता उच्चारण, शब्द-शैली के आधार पर देखी जा सकती है। अतः किसी वर्ग, समाज एवं राष्ट्र की अस्मिता उसकी भाषा में प्रतिबिम्बित होती है। भाषा के द्वारा किसी व्यक्ति के मन की स्थिति को जाना जा सकता है। विभिन्न आयु वर्गों की भाषा का

स्तर अलग होता है। भौगोलिक क्षेत्रों की भाषा में अंतर दिखाई पड़ता है। चूंकि इन क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों और उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। जहां लखनऊ में बोली जाने वाली हिंदी उर्दू प्रधान होती है तो वहीं दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाने वाली हिंदी खड़ी बोली प्रधान होती है। बिहार प्रदेश में ही बोलियों की विविधता की छाप उनकी हिंदी में दिखाई पड़ती है। धर्म भी कहीं न कहीं भाषा में अंतर पैदा करता है। किंतु भाषा को पूर्णतः धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता।



भाषा अपने भाषायी समाज के सदस्यों के भीतर सामाजिक अस्मिता की भावना को प्रश्रय देती है। प्रत्येक भाषा न केवल विभिन्न बोलियों को अपने भीतर समेट कर एक समग्र इकाई के रूप में उभरती है मातृभाषा के रूप में बोलियों को स्वीकृति देते हुए भी सामाजिक धरातल पर उनके बोलने वालों के बीच न केवल संपर्क साधन का काम करती है वरन उनके भीतर तादात्म्य भाव पैदा कर एक समाज के सदस्य होने की धारणा को चेतनाबद्ध करती है। सामाजिक स्तर होने की धारणा और बोली भेदों के बावजूद भी एकभाषी होने की धारणा और बाह्य विशिष्टता अर्थात् एक ही भूभाग की अन्य भाषाओं से भिन्न सिद्ध करने की प्रवृत्ति। बाह्य विशिष्टता जनपदीय उन समूहगत लक्षणों को

उभारने का प्रयत्न करती है जो स्थानीय संस्कृति और साहित्य की धरोहर होते हैं और उस भाषायी समाज की संकल्पना को साकार करने में सहायक होते हैं इसलिए जब प्रशासन की सुविधा के लिए भारत को विभिन्न जनपदीय प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित करने का प्रयास हुआ तब उसके इस भाषा की उपेक्षा नहीं की जा सकी। प्रदेशों का भाषायी आधार क्या रहा है उसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। हां यह तथ्य अवश्य हमारे सामने है कि सभी प्रदेश बहुभाषी हैं किंतु प्रदेशों के गठन और सीमा निर्धारण के समय आधिकारिक भाषा की संकल्पना से हम कभी अपने आपको मुक्त नहीं कर सके।

संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। जिनमें अधिकांश भाषायी समाज की अस्मिता की वाहक हैं। भाषा से भावनात्मक रूप से जुड़ाव होने के कारण भाषायी समाज अन्य भाषाओं को स्वीकार करना नहीं चाहता। जब भी कभी राष्ट्र भाषा को स्वीकार करने की बात उठती है अन्य भाषायी समाज के मन में प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं कि कहीं इससे उनके भाषायी समाज की

विशिष्टता तो नहीं खो जाएगी? कहीं उनके समाज के आर्थिक विकास का मार्ग तो अवरुद्ध नहीं हो जाएगा? कहीं कोई अन्य भाषायी समाज उन्हें हीन तो नहीं कर देगा? इसके अलावा यह भावना भी प्रत्यक्ष उभरती है कि यदि हम एक राष्ट्र के निवासी हैं, तो जिस प्रकार हिंदी भाषायी का एक अंग है उसी प्रकार हम भी उसी राष्ट्र के अंग हैं फिर एक अंग की भाषा पूरे राष्ट्र की भाषा क्यों हो? इस संबंध में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषायी विविधताओं के बावजूद हिंदी भाषा संपूर्ण राष्ट्र में संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। इस प्रकार का भेद स्वार्थ का वर्ग समाज उत्पन्न करता है। स्वार्थ का वर्ग समाज बार-बार प्रदेशों की भाषाओं के विरोध में हिंदी को रखता है। सच तो यह है कि

वह प्रदेश की भाषाओं को पनपने नहीं देना चाहता क्योंकि इन भाषाओं के व्यापक प्रयोग के विकास के साथ इनका अस्तित्व खतरे में है। इस प्रकार सामान्य जन सहज ऊपर आ जाएगा। सत्य तो यह है कि हिंदी के विरुद्ध इस सामान्य जन समाज को भड़काने वाले लोग ही इन भाषाओं के प्रच्छन्न विरोधी हैं। दूसरी स्तर पर यह नारा भी दिया जाता है कि संसार के ज्ञान-विज्ञान के अंग्रेजी की अनुपस्थिति में कट जाने की संभावना है। यहाँ यह तर्क विकृत रूप में रखा जाता है क्योंकि अंग्रेजी ही क्यों, आवश्यकतानुसार संसार की सभी उन्नत भाषाओं से ज्ञान विज्ञान निरंतर ग्रहण किया जा सकता है।

सत्ता के प्रभाव के माध्यम से इस तरह पर संगठित होने वाले वर्ग अपनी स्थिति बनाए रखने एवं अधिक सुदृढ़ करते चलने के लिए साधारण जन समाज को अनेक प्रकार से विभ्रमित करते रहते हैं। यह बराबर भ्रम पैदा किया जाता है कि हिंदी, अंग्रेजी का स्थान ले रही है जबकि ऐसा नहीं है। अंग्रेजी समस्त भारतीय भाषाओं के स्थान पर प्रदेशों में इस्तेमाल में आती आ रही है। पर हमारी भाषा नीति के अनुसार समस्त प्रदेशों की अपने भाषाएँ उनके समस्त कार्यों



और व्यवहार की भाषाएँ होंगी। हिंदी का उपयोग अंतरप्रदेशीय संपर्क और केंद्रीय व्यवहार के लिए माना गया है। इस भ्रम को दूर करने के प्रयास के सामानांतर एक दूसरा भ्रम उत्पन्न किया जाता है। अंतरप्रदेशीय संपर्क और केंद्रीय व्यवहार में हिंदी के प्रयोग से हिंदी भाषी लोगों को विशेष सुविधा होगी पर अंग्रेजी के प्रयोग समान सुविधा या असुविधा होगी। हिंदी अंग्रेजी के समान विभिन्न प्रदेशों की भारतीय भाषाओं की स्थानापन्न नहीं है। हर प्रदेश की भाषा जीवन और व्यवहार के हर स्तर पर प्रयोग में आएगी, तभी उसके जन समाज का पूरा विकास संभव होगा। राज्य का मूलाधार भारतीय भाषाओं की सांस्कृतिक मूल्य प्रक्रिया रहेगी। बिना इन भाषाओं के विकास के हिंदी को यह पूरा संश्लिष्ट व्यक्तित्व नहीं मिल सकता।

भाषा किसी भी सभ्यता व संस्कृति तथा उसके रहन-सहन की पहचान होती है। यदि किसी समुदाय की भाषा ही न बचे तो उसके बारे में जानना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। ईसाइयों और यहूदियों के धर्मग्रन्थों की मूल भाषा हिब्रू थी जो अब इस्तेमाल में नहीं है। इसी तरह पाली, प्राकृत सहित कई भाषाओं ने अपना अस्तित्व खोया है। इन्हें संरक्षित नहीं करने का ही परिणाम है कि इनके मूल ग्रन्थों में क्या कहा गया है यह जानना बड़ा मुश्किल है। इसे समझने के लिए 'रामचरित मानस' महाकाव्य का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि 'रामचरित मानस' की रचना महाकवि तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में की गई किंतु कई पुस्तकों में उसकी हिंदी व्याख्या को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। रामचरित मानस का ही पद्य है:

“ढोर, गवांर, शूद्र, पशु, नारी, सब ताड़न के अधिकारी।

इस पद्य की व्याख्या इस प्रकार की गई कि पशु, अनपढ़, शूद्र जाति, तथा महिलाएं प्रताड़ना की अधिकारी हैं, अतः इस पर अत्याचार करो। जोकि बिल्कुल ही गलत और भ्रामक व्याख्या है। यहां अवधी में “ताड़न” शब्द का अर्थ है देखना, परखना जांचना अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि इस वर्ग पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया इन्हें पहचानिए और इनका विकास कीजिए।

उल्लेखनीय है कि जब किसी भी समुदाय की भाषा को नहीं जाना जाता है तो उस समुदाय के बारे में सही जानकारी भी नहीं मिल पाती है और स्वतंत्र टिप्पणी कर जो लिखते और कहते हैं उन्हें ही सत्य

मान लिया जाता है। इसलिए यदि सही अर्थों में किसी संस्कृति की प्रगाढ़ता को समझना है तो उनकी भाषा को समझना और संरक्षित करना अति आवश्यक है।

लोकतंत्र के समुचित विकास के लिए विभिन्न भाषाओं का समृद्ध होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन भाषाओं के माध्यम से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक की समस्या को आसानी से जाना जा सकता है और उसके निराकरण के लिए कार्य किया जा सकता है। भारत में अभी भी कई ऐसे समुदाय हैं जिनकी भाषा को सही तरीके से समझा नहीं गया है। यदि वे विलुप्त हो जाती हैं तो उनके बारे में जानना असंभव हो जाएगा। अतः इन भाषाओं का संरक्षण आवश्यक है।

किसी भी देश की एकता और अखण्डता के लिए आवश्यक है कि वहाँ के लोग मिल-जुल कर रहें। इसके लिए भाषा सर्वोत्तम माध्यम है ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ सकें व अपनी पहचान को बता सकें इसलिए भी भाषाओं को संरक्षित करना आवश्यक है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त होता है। यदि स्थानीय भाषा को संरक्षण मिलता है तो उन आदिवासी लोगों के अधिकार को भी संरक्षित किया जा सकता है जो अपनी बातों को किसी दूसरे भाषा में नहीं कह पाते हैं। इससे समाज का समावेशी विकास हो पाता है। जब स्थानीय भाषा समृद्ध होती है तो उस क्षेत्र में विकास तेज गति से होता है और वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है जिससे कि शांति स्थापित होती है। इससे देश के विकास में सबका समान रूप से सहयोग प्राप्त होता है।

भाषा जो अपने समाज की प्रतिबिम्ब होती है, यदि वह संरक्षित व सुरक्षित नहीं रहेगी तो प्रतिबिम्ब की कल्पना नहीं की जा सकती है। लुप्त हो रही भाषाओं पर सिर्फ चिंता व्यक्त करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है बल्कि सरकार को इसके संरक्षण के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए इन भाषाओं को मुख्यधारा में लाना होगा, इन भाषाओं पर रिसर्च करना होगा, स्कूली स्तर पर इन्हें बढ़ावा देना होगा, इन्हें रोजगार परक बनाना होगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए इन्हें तैयार करना होगा तथा इन भाषाओं का सरलीकरण करना होगा आदि के माध्यम से सरकार और समाज दोनों मिलकर स्थानीय भाषाओं को बचा सकते हैं।

आंचलिक प्रबंधक, लुधियाना



मेरी बैंकिंग यात्रा

बैंकिंग पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बदल रही है। आज की बैंकिंग, 30-35 वर्ष पहले की बैंकिंग जब मैंने बैंक में कार्य ग्रहण किया था, से काफी उन्नत हो गई है। उस समय सभी कार्य हाथ से ही किए जाते थे जबकि आज लगभग सभी कार्य कंप्यूटर पर होते हैं। मैंने अपनी बैंकिंग यात्रा के दौरान हुए बदलावों को एक कविता में लिखने का प्रयास किया है, प्रस्तुत है मेरी बैंकिंग यात्रा.....

हमने खाते बहियाँ देखीं, और देखे सिगनेचर बाइंडर
सेविंग के छोटे-छोटे, सीसी तथा करेंट के बड़े-बड़े
हमने हाथों से हैं प्रोडक्ट लगाए, लगाए हमने ब्याज
लॉग बुक से प्रोडक्ट लगाकर,
क्लोजिंग पर हमने खातों में लगाए To/By
डेबिट क्रेडिट समेशन से करते थे मिलान
लंबे लंबे टोटल लगाए, फेसिट मशीन के साथ
बड़े बड़े शहरों की शाखाओं में देखी,
भारी भरकम एस्कोटा एकाउंटिंग मशीन
हर महीने के आखिर में मिलता था कार्यालय आदेश
करते थे कई लेजर, रजिस्टर जीएल से टेली
पैसों से, रुपयों में तथा रुपयों से हजारों में
घटता बढ़ता रहता था अंतर
बैलेंस मिलाकर मिलती थी एक अजीब सी खुशी
लिखते थे बैलेंस टेलिड और करते थे जल्दी से साइन
हमने लिखी अपने हाथों से डे-बुक और लिखी लॉग बुक
हमने लिखी लम्बी चौड़ी जीएलबी स्लिप
एएलपीएम को बैंकों में आते देखा,
देखा टीबीए को जाते
और जाते जाते देख रहे हैं कोर बैंकिंग का फिनेकल वर्जन 7
हमने फ्लॉपी से सीडी, सीडी से डीवीडी भी देखी
मोबाइल पर बैंकिंग देखी देखा भीम ऐप

हर एक टेबल के आखिरी ड्राएर में दिखता था कार्बन पेपर
पीले और सफेद रंग के पैड के आखिर में पेपर के अंदर
हमने टैलर काउंटर देखा, देखी हमने एलबीपी
देखी हमने ओबीपी और देखी ओबीसी,
टीटी से पैसा - आते देखा, देखा टीटी से जाते
अपने हाथों से करते थे पासबुक में एंटरी
क्योंकि तब न होती थी पासबुक प्रिंटर मशीन
डे बुक और डिस्पेच की देखी अलग-अलग सीट
दो-दो, तीन-तीन दिन तक एक दिन की डे-बुक को मिलाते देखा
हमने C/f देखा, देखा हमने B/F
समय बीतता गया, मौसम बदलते रहे
बैंकिंग भी बदलती रही है
और बदलते रहे हम
पर अब समय आ गया है
नई पीढ़ी को C/F करके जाने का,
अपने प्यारे बैंक को अलविदा कहने का
और आप सभी को यह कहने का कि
रखें सदा अपने आप को अपडेट
करें सभी नियमों का अनुपालन,
सदैव रहें जागरूक व सचेत
सफल बैंकर के लिए सूत्र हैं ये तीन

अशोक अरोड़ा (सहायक महाप्रबंधक)

प्रधान कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग



वह अकेली

दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शाम छः बजे ही अंधेरा गहरा गया था। कटौती के कारण अभी बिजली आने में पंद्रह मिनट की देरी थी। पार्क की सभी लाइट बंद थी। कॉलोनी के बीचों बीच यह पार्क बना हुआ था, जिसकी सड़कें बीच से पार्क को चार बराबर हिस्सों में बाँटती थी। यही चारों सड़कें पार्क के बाहर से ही दोगुनी चौड़ाई लिए कॉलोनी के चारों छोरों तक फैली थीं। उत्तर की ओर लगभग तीन सौ मीटर दूर नगर का मेन रोड था। यद्यपि पार्क के चारों ओर भी बीस बीस फुट चौड़ी पक्की सड़कें थीं जो नगर के मुख्य मार्ग से जुड़ती थीं पर दक्षिण दिशा की कॉलोनी वाले लोग उत्तरी मुख्य मार्ग की ओर जाने के लिए प्रायः पार्क के मध्य मार्ग से ही निकलते थे। इससे उनकी लगभग 150 मीटर की दूरी कम हो जाती थी।

पार्क में सुंदर तरीके से वृक्षारोपण किया गया था। वृक्ष भी अब बृहदाकार हो गए थे, जिनकी छाया में सीमेंट की बेंचें बनाई गई थी। पेड़ों की घनी छाया के कारण शाम को अंधेरा भी कुछ अधिक ही गहरा जाता था। जिससे गहराते अंधेरे का सूनापन डर भी पैदा करता था।

इसी कॉलोनी के दक्षिणी भाग में नव्या नाम की बाईस वर्षीय स्वस्थ सुंदर सुशिक्षित अविवाहित युवती रहती है, जिसने स्कूल और कॉलेज में जूडो कराटे की ट्रेनिंग भी ली है। पार्क के उत्तरी छोर से लगभग आधा किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग पर उसका निजी कोचिंग सेंटर है। जिसमें वह 10वीं-12वीं कक्षा की कोचिंग भी अपने ही जैसी कुछ सहेलियों के साथ देती थी।

आज वह घर से निकलने में ही कुछ लेट हो गई थी, तो न चाहते हुए भी समय बचाने के विचार से अंधेरा होने पर भी उसने पार्क का मध्य मार्ग चुना। हालांकि उसे मालूम था कि शाम ढलते ही नगर के कुछ मनचले शरारती तत्व और गुंडे पार्क में आ जाते हैं। इसी से कॉलोनी वाले भी शाम के बाद अकेले पार्क में नहीं जाते थे।

पिछले ही महीने नव्या की एक परिचित लड़की से इसी पार्क में कुछ मनचले बदमाशों ने ज्यादाती की थी। दुर्घटना के बाद पार्क में 10-15 दिन तो पुलिस ने भी अपनी आमद बढ़ा दी थी, पर बाद में फिर पुलिस शायद ही कभी दिखी हो।

यह सब जानते हुए भी समय की पाबंद नव्या ने पार्क का मध्य मार्ग चुना। वह सौ कदम ही चली होगी कि उसे अपने पीछे कुछ आहट सुनाई दी, फिर कुछ अश्लील शब्द भी। उसका संदेह सही था। उसके पीछे तीन शोहदे लग गए थे। उसने दूर-दूर तक पार्क में नजर डाली पर कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। अब वह पछता रही थी कि वह क्यों इस रास्ते से आई। कोचिंग क्लास तो उसकी अपनी ही थी, कुछ देर भी हो जाती तो क्या फर्क पड़ता। पर भूल तो अब हो चुकी थी।



ऋचा जैन

नव्या ने अपनी चाल तेज कर दी। उसने देखा पार्क में बेंच पर कोई बूढ़ा आदमी बैठा है जो अपने घुटनों तक सर झुकाए है। बाजू में उसकी लाठी टिकी है। उसमें कुछ साहस का संचार हुआ। उसका तेज दिमाग इस दुर्घटना से निपटने की योजना बनाने लगा।

पर तभी पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसके कंधे को जोर से पकड़ा और बोला “कहाँ भागी जा रही हो जानेमन.... हम तुम्हें खा थोड़े ही जाएंगे।”

लड़के ने दूसरे कंधे की पकड़ भी मजबूत की। वह उसे अपनी ओर घुमाना चाह रहा था कि उसकी आशा के विपरीत नव्या एकाएक रुकी और तेजी से बदमाश की इच्छानुसार उसकी तरफ घूमी.... लड़का कुछ समझ पाता उसके पहले ही नव्या ने ऊंची हुंकार के साथ अपने दाहिने पैर का घुटना बदमाश के दोनों पैरों के बीचों-बीच पूरी ताकत से दे मारा। गुप्तांग पर चोट इतनी जोर से पड़ी कि वह चीखता हुआ जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया।

बाकी दोनों गुंडे जब तक कुछ समझ पाते, उसके पहले ही नव्या ने बूढ़े व्यक्ति की लाठी उठा ली और बिना एक पल गँवाए उसकी ओर झपटते गुंडे के सिर पर दे मारी... झन्न से वह बदमाश भी चीत्कार करता हुआ औंधे मुंह गिर गया। इधर तीसरे गुंडे ने लंबा सा चाकू निकाल लिया। वह नव्या की ओर तेजी से बढ़ा ही था कि बूढ़े व्यक्ति ने पीछे से अपना हाथ बदमाश के गले में डालकर कस दिया और नव्या ने भी मौका चूके बिना चाकू वाले हाथ पर लाठी का भरपूर प्रहार कर दिया। हाथ से छूटकर चाकू दूर जा गिरा। इधर नव्या ने लाठी का दूसरा सधा हुआ प्रहार बदमाशों की कनपटी पर किया और वह भी दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर उकड़ू बैठ गया।



अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री - **नरगीस दत्त**
(कालोबी बेरी फिल्मोत्सव का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फिल्म मंदर इंडिया, 1958)

हल्ला सुनकर अब तक कॉलोनी के बहुत से लोग आ गए थे। एक बदमाश ने उठकर भागना चाहा पर कॉलोनी वालों ने उसे दबोच लिया। किसी ने फोन कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस भी तत्काल आई और आवश्यक लिखा पढ़ी करके, कॉलोनी वालों एवं नव्या को कुछ निर्देश देकर उन बदमाशों को घसीटते हुये पुलिस गाड़ी में लादकर ले गई।

अगले दिन निर्धारित समय पर नव्या तथा कॉलोनी के बहुत से स्त्री पुरुष पुलिस थाने गए। कॉलोनी की ही कुछ और लड़कियों ने पुलिस को बताया कि यही तीनों हमेशा पार्क में छिंटाकशी करते एवं हम लोगों को परेशान करते हैं।

पुलिस की मार के आगे तीनों शोहदों ने आत्महत्या कर चुकी युवती से भी ज्यादाती करना स्वीकार किया। पुलिस केस बहुत मजबूत बन चुका था। पर दो-तीन दिन बाद ही गुंडों का बचाव पक्ष भी सक्रिय हो गया। एक-दो सीनियर पुलिस वालों के बीच भी उन्होंने घुसपैठ बना ली। जिसके फलस्वरूप नव्या से कुछ पुलिस वालों ने ऊल जुलूल असहज प्रश्न पूछना प्रारम्भ कर दिए। पर उसने सबके सामने साहस के साथ कहा।

“आपकी बहन-बेटी के साथ भी यही सब कुछ हुआ होता..... तो क्या उनसे भी ऐसे भी प्रश्न होते.....?”

उसके ऐसा कहते ही पुलिस वाले बगले झाँकने लगे। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा-

“मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। एक बदमाश का मैंने गला पकड़ा था....मैं एक सेकंड की भी देरी करता तो वह अपने चाकू से इस लड़की की जान ही ले चुका होता। क्या मेरी गवाही के बाद भी ऐसे प्रश्न इस लड़की से करना जरूरी है....?”

बूढ़े की बात सुनकर एक सीनियर पुलिस वाला बोला-“बाबा आप चुप रहो....ज्यादा बकबक की तो हवालात में डाल दूंगा। पता भी नहीं चलेगा बुढ़ा कैसे मर गया..... आ गया साला प्रत्यक्षदर्शी बनके.....।

“किस धारा में डालोगे मुझे हवालात में.....? क्या मेरी हत्या करोगे.....? और क्या तुम अपने बाप को भी साला कहते हो.....?”

बूढ़ा व्यक्ति कुछ और कहता या क्रोध से लाल हो चुका सीनियर पुलिस कुछ अभद्रता करता, उसके पहले नगर के एस.डी.ओ.पी.

थाने में आ गए। आते ही वृद्ध के चरण स्पर्श करते हुये बोले- “जज साहब आप...? और थाने में.....?”

जज साहब बोले - हाँ साहब..... देख लीजिए आपकी पुलिस..... बदमाशों , हत्यारों, बलात्कारियों का साथ दे रही है.... और मुझे प्रत्यक्षदर्शी को हवालात में डालकर मारना चाहती है। क्या ऐसे लोगों की दागदार वर्दी उतार नहीं लेना चाहिए.....?

एस.डी.ओ.पी. ने दोनों पुलिस सीनियर की तरफ गुस्से से देखा जिनके चेहरों पर अब हवाईयाँ उड़ रहीं थीं। फिर गुंडों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए तथा उन दोनों पुलिस सीनियर्स को बर्खास्त करने की प्रक्रिया तत्काल आरंभ कर दी। बचाव पक्ष में आए नेता और बदमाश भी माहौल समझकर चुपचाप वहाँ से खिसक लिए।

चार महीने तक केस चला। वकीलों ने उन हत्यारे बलात्कारियों की पैरवी नहीं की। फिर कोई भी उन हत्यारों के बचाव में सामने नहीं आया। सरकार ने ही वकील की व्यवस्था की और

हाईकोर्ट के जज ने फैसला सुनाया-“जब तक ये नरपिशाच जीवित हैं, तब तक इन्हें कठोर श्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा देता हूँ। मेरे हाथ में नहीं वरना मैं इन्हे तत्काल नपुंसक बना देने की सजा भी सुनाता ताकि इन्हे तिल-तिल मरने घुटने का भी आभास होता रहता। वास्तव में तो इन और इन जैसे कायरों की मानसिकता ही नपुंसक होती है। इन समाज कंटकों पर समाज को भी घर और बाहर कड़ी नजर रखना चाहिए। ऐसे लोगों को तो समाज में जीना हराम कर देना ही इनका प्रारम्भिक इलाज होगा।

जज ने नव्या की ओर मुखातिब होते हुए कहा-“देश की बेटियों को ऐसा ही होना चाहिए..... अपनी सुरक्षा के लिए सजग सबल तैयार... ... शाबाश बेटी....! मुझे तुम पर गर्व है..... समाज को भी तुम्हारी बहादुरी पर गर्व होना चाहिए..... एक बात और..... दुर्घटना के समय उपस्थित स्त्री-पुरुषों को भी अपनी कायरता या डर छोड़कर मदद के लिए तत्काल आगे आना चाहिए। हमारे सीनियर मोस्ट जज साहब ने नब्बे वर्ष की उम्र में भी उस गुंडे का गला पकड़ कर युवती को मौत के मुँह में जाने से बचाया..... यह सभी के लिए अनुकरणीय है।

शाखा - स्टेशन रोड, सागर
(म.प्र.)





हे नारी
जग का अखंड विस्तार हो तुम,
सूर्य का तपता तेज हो तुम,
चंद्र की शीतल चमक हो तुम,
ममत्व की करुणामयी अवतार हो तुम,
पृथ्वी रूप में जीवन का उद्धार हो तुम,
परिश्रम और कष्ट का उदाहरण हो तुम,
अनेक रूपों में स्नेह और प्रेम की अलग पहचान हो तुम,
हे नारी जग का अखंड विस्तार हो तुम.....



सुशील कुमार

नारी.....कुदरत की एक ऐसी कृति जिसके वर्णन को शब्दों की परिधि में बांधा नहीं जा सकता और ना ही उसमें समाहित ममता, महानता, मृदुलता, धैर्य, सहनशीलता, करुणा, दया, भावुकता आदि अनगिनत ऐसे गुण जिनको आंकना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना.....मनुष्य जिसके अस्तित्व की कल्पना भी नारी के बिना करना असंभव है। ऐसी वो नारी जिसके बिना जीवन की कल्पना भी करना बेमानी है वो नारी सदियों-सदियों से इस पुरुष प्रधान समाज में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती आ रही है। युगों से नारी पुरुष प्रधानता की इन बेड़ियों में जकड़ी हुई अपने समानता के अधिकार को पाने के लिए छटपटा रही है जो कि उसका अधिकार होते हुए भी उसे आज तक नहीं मिल पाया। आज के युग में यदि नारी की स्थिति पर दृष्टि डाली जाए तो वो पहले से शक्तिशाली, सम्मानित व प्रतिष्ठित स्थिति में है।

वर्तमान समय में 'पुरुष प्रधान समाज' की छवि भी काफी हद तक बदली है। पुरुष समाज भी अपनी रूढ़िवादी व परंपरावादी विचारधारा से ऊपर उठकर 'नारी सशक्तिकरण' की दिशा में एक नई सोच का आगाज कर चुका है जिसके परिणामस्वरूप नारी जगत 'उत्थान' की ओर अग्रसर है। 'नारी सशक्तिकरण' का अर्थ नारी को सशक्त करना नहीं है। और ना ही 'नारी सशक्तिकरण' या 'वूमन एम्पावरमेंट' का मतलब 'फैमिनिज्म' है। 'नारी सशक्तिकरण' या 'वूमन एम्पावरमेंट' का अभिप्राय यह भी नहीं है कि नारी पुरुष की नकल करना चाहती है; ये हमारे समाज में फैली भ्रांतियाँ हैं। साधारण शब्दों में अगर कहें तो 'नारी सशक्तिकरण' या 'वूमन एम्पावरमेंट' का अर्थ है कि नारी और पुरुष इस संसार में समान हैं और ये समानता उन्हें प्रकृति/कुदरत प्रदान करती है। 'नारी सशक्तिकरण' या 'वूमन एम्पावरमेंट' के तहत कोई भी नारी किसी

पुरुष से कुछ नहीं चाहती और ना ही समाज से कुछ चाहती है बस वो अस्वीकार करती है तो सिर्फ ये कि 'पुरुष' उसका भाग्य विधाता उसका 'मालिक' है। ये कोई चुनौती नहीं है और ये कोई सत्ता की उथल पुथल भी नहीं है; ये मात्र 'एक जागृति है' कि नारी और पुरुष दोनों इंसान हैं और दोनों समाज में समान अधिकार रखते हैं। ज्यादातर पुरुष 'सशक्तिकरण' से ये समझते हैं कि नारी को कमजोर से शक्तिशाली बनना है जबकि ये विचारधारा ही गलत है। 'सशक्तिकरण' का अर्थ है कि जो हमारा मूलभूत अधिकार है यानि सामाजिक व्यवस्था में बराबरी की हिस्सेदारी है वह हमें मिलना चाहिए। कोई भी नारी जो 'नारी सशक्तिकरण' को मानती है वह पुरुष से सामाजिक बराबरी का अभियान चला रही है। अभियान ये कि हम (नारी) और आप (पुरुष) दुनिया में 50% के भागीदार हैं इसलिए लिंग भेद के आधार पर कामों/अधिकारों का, नियमों का बंटवारा ना करें। हमारे समाज में सदियों से नारी और पुरुष को एक दूसरे का पूरक समझा जाता है, इस सन्दर्भ में इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वह केवल नारी-पुरुष के वैवाहिक रिश्ते की परिभाषा है जबकि नारी-पुरुष और भी बहुत से रिश्तों में बंधे होते हैं जहाँ लिंग भेद किया जाता है। 'नारी सशक्तिकरण' पुरुष को उसके सिंहासन से हिलाने की कोई पहल नहीं है अपितु 'नारी सशक्तिकरण' एक सोच है कि हम तो बराबर ही हैं सो हमें आप से कुछ इसलिए नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमें कोई ऐसी 'लाइन' जिस में खड़ा करके आप हमारे किए हुए कामों की तारीफ करके कहें कि 'बहुत सुंदर काम किया है और आप इस पुरस्कार की हकदार हैं क्योंकि हम नारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं।' ये हमारे मूल-भूत अधिकारों का हनन है। 'महिला सशक्तिकरण' की समर्थक महिलाएं किसी की आँख की किरकरी नहीं हैं क्योंकि वह नारी और पुरुष को अलग-अलग इकाई मानती हैं। 'नारी सशक्तिकरण'



प्रथम भारतीय महिला जिसने उल्लेखनीय नागरिक सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया - श्रीमती किरन बेदी

की समर्थक महिलाएं चाहती हैं कि समाज से ये सोच हो कि जो पुरुष के लिए सही वही नारी के लिए सही है। 'नारी सशक्तिकरण' के लिए जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं वो ना तो पुरुष विरोधी हैं और ना ही नारी समर्थक। वो सारे अभियान केवल मूल-भूत अधिकारों को दोबारा से 'बराबरी' से बांटने का प्रयास हैं। 'नारी सशक्तिकरण' को मानने वाले ये जानते हैं कि इस विचार धारा को मानने वाली नारियाँ फेमिनिज्म का मतलब ये मानती हैं कि हम जो कर रहे हैं या जो भी करते रहे हैं हमें उसको छोड़ कर आगे नहीं बढ़ना है अपितु हमें अपनी ताकत को बरकरार रखते हुए अपने आपको और सक्षम बनाना है ताकि हम हर वो काम कर सकें जो हम चाहें और इसके लिए अब अगर समाज को बदलना है तो वह बदले।

नारी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, वह स्वयंसिद्धा है। आज की नारी हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। किसी भी क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए नारी को आवश्यकता है तो सिर्फ एक अवसर की। वर्तमान भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है जैसे दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न, अशिक्षा, भ्रूण हत्या, असमानता, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, वैश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है जो देश को पीछे की ओर ढकेलता है। भारत के संविधान में लिखे गये समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को

सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में 'नारी सशक्तिकरण' को बढ़ावा मिला है। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इसे हर एक परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारित करना चाहिए। ये जरूरी है कि महिलाएँ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो। एक बेहतर शिक्षा की शुरुआत बचपन से घर पर हो सकती है। महिलाओं के उत्थान के लिये एक स्वस्थ परिवार की जरूरत है जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक है। आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता-पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने का चलन है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिये महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिये सरकार कई सारे कदम उठा रही है।

अब वक्त है हम सबको अपनी संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर सोचने की। वो कुदरत जिसने सृष्टि निर्माण के समय स्त्री और पुरुष दोनों को ही एक दूसरे पर निर्भर कर दिया कि दोनों मिलकर ही सृष्टि का विस्तार कर सकेंगे तो हमें उनको समान न समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। स्त्री-पुरुष की समानता की अलख हमें मिलकर जगानी है वो भी अपने परिवार से ही इसकी शुरुआत करते हुए। हमें अपने परिवार के हर स्त्री पुरुष को समानता का पाठ पढ़ाना होगा तभी समाज बदलेगा और समाज बदलेगा तभी संसार बदलने की कल्पना की जा सकती है।

आंचलिक कार्यालय, बठिंडा।

शिवधनुष

युद्धों में कई बार हूँ गिरा-गिरा,
पर पराजयों की भूलों को मिटा-मिटा,
चट्टानों से करता रहा मैं द्वंद्व-द्वंद्व,
शिखर की ओर हूँ मैं मंद-मंद।
शिखर की ओर हूँ मैं मंद-मंद।।
जीत सका न मैं स्वप्न,

विजय तिलक की परातों का,
पर गिरा सदा हूँ मैं,

शिवधनुषों की टंकारों सा,
संघर्ष की भुजाओं से कैसे हो,

रक्त अब बंद-बंद,
शिखर की ओर हूँ मैं मंद-मंद,

शिखर की ओर हूँ मैं मंद-मंद,

उपेंद्र कुमार
आंचलिक कार्यालय-पंचकूला



ग्राहक के मुख से.....

साथियो,

जहां सेवा ही जीवन ध्येय है”, अपनी पंचलाइन को सार्थक करता है मेरा अपना पंजाब एण्ड सिंध बैंक। जी हां, मैंने मेरा अपना बैंक इसलिए कहा है क्योंकि जो सम्मान और भरोसा मुझे यहां से मिला है उसी के कारण मैं, एन. के. भसीन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पश्चिम विहार में कार्यरत, पिछले 35 वर्षों से केवल पंजाब एण्ड सिंध बैंक से ही जुड़ा हुआ हूँ। सन् 1980 में बैंक की जे ब्लॉक राजौरी गार्डन शाखा में मैंने अपने पिता के साथ जाकर अपना बचत खाता खुलवाया। लेकिन डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पश्चिम विहार में नौकरी पाने के पश्चात बैंक की पश्चिम विहार शाखा में मेरा सेलरी एकाउंट खुला। आज मेरे परिवार के आठ खाते बैंक की पश्चिम विहार शाखा में हैं जिनमें सेविंग, आवर्ती तथा सावधि जमा खाते हैं। मेरे भाई तथा बहनों के खाते भी पंजाब एण्ड सिंध बैंक की अलग-अलग शाखाओं में हैं। कुल मिलाकर यह मेरे पूरे परिवार का ही पसंदीदा बैंक है। मुझे कभी भी किसी भी काम के लिए परेशानी नहीं हुई बल्कि अगर मैंने फोन पर भी जानकारी चाही वह मुझे शाखा से तुरंत प्राप्त हुई। वैसे तो समय-समय पर शाखा प्रभारी और स्टाफ बदलता रहा, पहले के स्टाफ में से शाखा प्रभारी श्री मक्कड़ जी और सुश्री संगीता की कार्य-प्रणाली को अब भी याद करता हूँ। वर्तमान में कार्यरत शाखा प्रभारी तथा स्टाफ सभी से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई किंतु शाखा में कार्यरत सुश्री प्रदीप कौर का नाम में जरूर लेना चाहूंगा जिन्हें सर्विस विद स्माइल के लिए जाना जाता है। एक बात और भी कहना चाहूंगा कि काम चाहे किसी भी काउंटर का हो, जिसे भी कह दिया जाए वही पूरी तत्परता से काम करता है, यह खासियत है पश्चिम विहार शाखा की।

अभी हाल ही में बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा आयोजित आओ खेलें का आयोजन डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पश्चिम विहार में किया गया जहाँ मुझे बैंक के प्रधान कार्यालय के उच्चाधिकारियों तथा स्टाफ से भी मिलने का मौका मिला और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि न केवल शाखाओं में कार्यरत स्टाफ बल्कि प्रधान कार्यालय का स्टाफ भी कर्मठ तथा उत्साही है, और मैं भी बैंक का ग्राहक होने के नाते आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि अपनी सेवाओं को इसी प्रकार बनाए रखें। मैं परम पिता परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि बैंक अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देते हुए तरक्की के शिखर तक पहुँचे।

शुभकामनाओं सहित,

(एन. के. भसीन)



नराकास उपलब्धियाँ

भिलाई



नराकास भिलाई-दुर्ग द्वारा हमारी शाखा सेक्टर-6, भिलाई (छत्तीसगढ़) को वर्ष 2019 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए “राजभाषा अग्रदूत” पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छायाचित्र में नराकास भिलाई-दुर्ग के अध्यक्ष से पुरस्कार प्राप्त करते हुए भिलाई के शाखा प्रबंधक श्री निर्माण सामल। मंच पर श्री हरीश चौहान, निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भोपाल की गरिमामयी उपस्थिति।



पुरस्कार के साथ शाखा प्रबंधक भिलाई व शाखा के अन्य स्टाफ सदस्य

बरेली



बैंक नराकास, बरेली द्वारा आयोजित वैजयंती शील्ड प्रतियोगिता में हमारे बैंक के अंचल कार्यालय बरेली को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। छायाचित्र में नराकास अध्यक्ष से पुरस्कार ग्रहण करते हुए आंचलिक प्रबंधक श्री विजय कुमार निरंजन और राजभाषा अधिकारी श्री वैभव मिश्रा।

भारतीय वायु सेना की प्रथम महिला पायलेट - हरित कौर देवल



बैंक के प्रधान कार्यालय में आओं खेले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री गोविंद एन. डोंग्रे जी, उच्चाधिकारियों, प्रधान कार्यालय के स्टाफ सदस्यों



विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जिनमें बैंक के कार्यकारी निदेशक एवं उनके परिवार जन ने भी भाग लिया। प्रस्तुत हैं कार्यक्रम की झलकियाँ...



हमें इन पर गर्व है



सुश्री स्नेहा जायसवाल

1. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
2. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित “स्मरण शक्ति प्रतियोगिता” में प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित “आशुभाषण प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।
पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा आयोजित ‘व्यंग्य कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया।



सुश्री राधिका कुमारी



श्री आनंद जोशी

आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा आयोजित “अधूरी कहानी पूरी करें” प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

केनरा बैंक द्वारा आयोजित “हिन्दी कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया।



सुश्री कुदुम बाला



देश की प्रथम महिला बैरिस्टर - कोर्नोलिया सोराबजी (इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1923)



जरा सोचिए.....?



मोहन लाल

सर्दियों का मौसम था मुझे शनिवार तथा रविवार की छुट्टी में घर जाना था। अक्सर मैं अपने घर बस से जाता हूँ लेकिन इस बार धुंध के मौसम को देखते हुए घर जाने के लिए मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर ली। प्लेटफार्म पर भी भीड़ थी जैसे-तैसे मैं प्लेटफार्म पर पहुंचा, ट्रेन खड़ी हुई थी। ट्रेन का सामान्य कोच यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। मैंने भी अपने कोच को देखा मेरा कोच भी यात्रियों से भरा हुआ था। डिब्बे में केवल बैठने के लिए स्थान पर्याप्त था और मैं भी जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। आखिरकार ट्रेन निश्चित समय से लगभग आधा घण्टा देरी से चली। ट्रेन का गन्तव्य रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले यात्रियों में हलचल होने लगती है। सभी यात्री अपने-अपने सामान को इक्ठ्ठा करने में लग जाते हैं। कोई सोया हुआ यात्री है तो उस सोये हुए यात्री को जगाते हैं। ऐसे में कुछ यात्री अपना सामान लेकर ट्रेन के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं जैसे उन्हीं लोगों को ट्रेन से उतरने की सबसे ज्यादा जल्दी है। ऐसे लोग कहने के बावजूद भी दरवाजे पर से पीछे नहीं हटते। वह महिला जो मेरे पास में ही बैठी थी उसने भी अपना बैग उठाया और भीड़ को तितर-बितर करते हुए दरवाजे पर पहुंची। मानो उसी को ही ट्रेन से सबसे पहले उतरना था। उसी को सबसे अधिक जल्दी थी। उसके पास दो बैग थे और एक पर्स था। वह दोनों हाथों में बैग को उठाकर तथा पर्स को उसने अपनी बाजू में डालकर ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। सभी यात्री उस महिला की ओर देख रहे थे। यात्रियों के बार-बार कहने पर भी वह महिला दरवाजे से पीछे नहीं हटी और दरवाजे पर ही खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने अपने पर्स से अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल पर बात करने लगी। ट्रेन की गति बहुत धीमी थी प्लेटफार्म भी कुछ ही दूर रह गया था। प्लेटफार्म की ओर से गाड़ियों के आने व जाने की अनाउंसमेंट की आवाजे सुनाई दे रही थी।

दूर-दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था केवल चारों ओर धुंध ही धुंध थी। तभी धुंध में से एक लड़का अचानक ट्रेन की ओर दौड़ता हुआ आया और वह ट्रेन के साथ-साथ तेज-तेज चलने लगा। उस लड़के ने महिला की ओर देखा। महिला ने भी लड़के की ओर देखा। वह महिला सोचने लगी कि शायद वह लड़का ट्रेन में चढ़ना चाहता है। उस लड़के ने देखा कि महिला फोन पर बात कर रही है तभी लड़के ने ट्रेन के साथ-साथ चलते-चलते ही उस महिला के हाथ पर झपटा मारा और फोन छीनने की कोशिश की। इस छीना छपटी में उस महिला का फोन ट्रेन के अन्दर ही गिर गया। वहाँ खड़े सभी लोग यह सब देख रहे थे। जब लड़के के हाथ फोन नहीं लगा तब उसने उस महिला का पर्स छीनने की कोशिश की और वह पर्स छीनने में भी नाकाम रहा। उसके बाद उसने महिला का बैग जो उसके हाथ में था, उसको छीनने की कोशिश की। बैग के नीचे का हिस्सा लड़के के हाथ में था और ऊपर का हिस्सा महिला के हाथ में था। बैग को लड़का अपनी ओर खींचने लगा इस दौरान महिला ट्रेन से नीचे गिरने को हुई। पीछे खड़े यात्रियों ने शोर मचाया। उन्होंने उस महिला को पकड़ कर जैसे-तैसे पीछे की ओर ट्रेन के अंदर खींचा। इसी छीनाझट्टी में बैग फट गया, बैग के दो हिस्से हो गए। बैग का बड़ा हिस्सा लड़के के हाथ में आ गया और वह उसे लेकर तेजी से भाग गया। लड़का कुछ ही दूर तक दिखाई दिया उसके बाद वह धुंध में कहीं गायब हो गया।

दूसरी तरफ बैग के फटने के कारण महिला ट्रेन के अंदर गिर गई थी, उसे चोट भी आई। यात्रियों ने महिला को उठाया और सीट पर बिठाया। महिला दहशत में थी और घबरा रही थी। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, यात्रियों ने उसे पानी पिलाया। पूछने पर महिला ने बताया कि बैग में केवल उसके कपड़े ही थे। कीमती सामान तथा पैसे तो पर्स में थे, जो मेरी बाजू में लटका हुआ था। तभी गाड़ी प्लेटफार्म पर पहुंच गई। कुली और चाय, समोसे वाले ट्रेन की ओर तेजी से लपके। सभी यात्री भी धीरे-धीरे ट्रेन से नीचे उतर गए। कुछेक यात्रियों के सामान को लेकर कुली के साथ बहस भी होने लगी। वह महिला भी उदास और डरी हुई सी धीरे-धीरे ट्रेन से नीचे उतरी और प्लेटफार्म की सीढ़ियों की ओर बढ़ गयी।

जरा सोचिये हमारी एक छोटी सी गलती हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। यात्रा के दौरान हमें सदा सावधानी बरतनी चाहिए।

प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

काव्य-मंजूषा

मेरी बहन का बर्थडे



घुटनों से रेंगते-रेंगते
कब पैरों पर खड़ा हुआ,
तेरी ममता की छाँव में,
जाने कब बड़ा हुआ।
काला टीका दूध मलाई,
आज भी सब कुछ वैसा है।
मैं ही मैं हूँ हर जगह,
प्यार ये तेरा कैसा है?
सीधा-साधा भोला-भाला,
मैं ही सबसे अच्छा हूँ।
कितना भी हो जाऊँ बड़ा,
'माँ! 'मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ।

आंचलिक कार्यलय-नोएडा



रोशन कुमार

दिन कुछ खास है आज मेरा.....।
क्योंकि मेरे गर्व, मेरे अभिमान, मेरे गुरूर
आज जन्म दिन है तेरा.....।
ना जाने ये रिश्ता कैसा है
पर सच कह रहा हूँ,
मेरे लिए दुनिया के हर रिश्ते से गहरा.....।
आज भी याद है तेरे पैदा होने पर जब
पहली बार मम्मी से मिलने गया था मैं
और तुझे माँ के पास पाकर
दूर करने के हठ पर डट गया था मैं.....।
पर उस दिन से लेकर आज तक का सफर
कितनी जल्दी निकल गया.....
और कब तेरा खुश होना जिंदगी का एक मकसद सा हो गया....।
तेरी सारी यादें पलकों में हमेशा साथ है।
पता है ये कहने कि नहीं
जज्बातों की बात है।
है दुआ कभी किसी की नजर ना लगे।
आंखों में तेरे ना हो कभी नमी,
खुशियों की फुहार और तेज चलने लगे।
पता है, मैंने लगाई है तुझपे बंदिशें सदा।
क्योंकि तू रही है मेरे लिए खास सारी दुनिया से जुदा.....।
अपने सभी फैसले खुद करना और सबका साथ मिलने पर भी
मेरी हाँ या ना से तुझे फर्क पड़ना, कोई कम न था.....।
तुझे बताना चाहता था मैं कि तुम मेरे लिए क्या हो
पर समय और शब्दों का तालमेल तब न था।
जन्मदिन की बधाई मेरी लाडो!

श्री तरुण सेन
शाखा-इब्राहिमपुर



काव्य-मंजूषा

होली



प्रदीप झा

होली आई होली आई
रंग अबीरें होली लाई
मौज मस्ती का है यह खेल
होली आई रंगों की बौछारें लाई

बंग भूमि में रंगें होती
नाम नहीं है होली इसका
'डोल यात्रा' कहते लोग
हुरदूंग से न मनाते लोग

हिरण्य राक्षस ने किया उत्पात
मचा त्राहिमाम युगों की यह बात
होलिका थी बहन उसकी
दहन होती होलिका की
होली पर है प्रतीक उसकी

सीएए पर मचा उत्पात
होली पर हुआ कुठराघात
खुशियों का पल हुआ ध्वंश
विखड़ गया खूनों का रंग

मादक द्रव्यों का करता सेवन
होली के नाम पर करता हुरदूंग
नशा नहीं है कभी भी ठीक
करोना इससे कभी भी प्रीत

ऊंच नीच का भेद भूलाकर
जाति मजहब से ऊपर उठकर
उम्र की सीमा भूल गये सब
रंग सरोवर में डूब गये सब

अपनापन का रंग लगाकर
प्रीत का ज्योति जगाकर
सब को मीत बना दे होली
होली आई होली आई

होली आई होली आई
शीत ऋतु की हो रही विदाई
ग्रीष्म ऋतु की आहट आई
देखो देखो होली आई
होली ने प्रह्लाद की याद दिलाई
जन जन ने कचरे की होली जलाई

प्यार की भाषा सीखाये होली
अच्छाई की दीप जलाएं होली
पकवानों की थैली लाई होली
रंगों की बौछारें लाई होली

वरिष्ठ प्रबंधक (सेवानिवृत्त)



भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रथम कप्तान - **शांता रंगास्वामी (कर्नाटका)**

वास्तव में भाषा के प्रचार प्रसार में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है।

हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई और इसका श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। जिसमें महत्वपूर्ण हैं- साल 1816 में प्रकाशित 'बंगाल गजट'। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने मिरातुल, संवाद कौमुदी, बंगाल हैराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना फैलाई। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित युगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले 'उदन्त मार्तण्ड' को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। 1873 ई0 में भारतेन्दु ने 'हरिश्चंद्र मैगजीन' की स्थापना की। एक वर्ष बाद यह पत्र 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1900 ई0 में 'सरस्वती' और 'सुदर्शन' के अवतरण के साथ हिंदी पत्रकारिता के इस दूसरे युग पर पटाक्षेप हो जाता है। इन वर्षों में हिंदी पत्रकारिता अनेक दिशाओं में विकसित हुई। प्रारंभिक पत्र शिक्षा-प्रसार और धर्म प्रचार तक सीमित थे। भारतेन्दु ने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक दिशाएँ भी विकसित कीं।

सन् 1880 से लेकर, सदी के अंत तक लखनऊ, प्रयाग, मिर्जापुर, वृंदावन, मुंबई, कोलकाता जैसे दूरदराज क्षेत्रों से पत्र निकलते रहे। सन 1900 का वर्ष हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण है। 1900 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका अपने समय की युगान्तरकारी पत्रिका रही है।

माधवराव सप्रे ने लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी को 'हिंद केसरी' के रूप में छापना शुरू किया।

भारत के स्वाधीनता संघर्ष में पत्र-पत्रिकाओं की अहम भूमिका रही है। राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदनमोहन मालवीय, बाबा साहब अम्बेडकर, यशपाल जैसे आला दर्जे के नेता सीधे-सीधे तौर पर पत्र-पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे और नियमित लिख रहे थे। जिसका असर देश के दूर-सुदूर गांवों में रहने वाले देशवासियों पर पड़ रहा था। सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रचार प्रसार और उन आन्दोलनों की कामयाबी में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही। कई पत्रों ने स्वाधीनता आन्दोलन में प्रवक्ता की भूमिका निभायी। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेमचंद, निराला, बनारसीदास चतुर्वेदी, पांडेय बेचन शर्मा उग्र,

शिवपूजन सहाय आदि की उपस्थिति 'जागरण', 'हंस', 'माधुरी', 'अभ्युदय', 'मतवाला', 'विशाल भारत' आदि के रूप में दर्ज है।

'उदन्त मार्तण्ड' के सम्पादन से प्रारंभ हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा कहीं थमी और कहीं ठहरी नहीं है। हिंदी पत्रों ने जहाँ एक ओर बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त्र किया वहीं राष्ट्रभाषा को सर्वाधिक उपयोगी बनाने का सफल प्रयास किया। पत्रकारिता की शुरुआत एक मिशन के रूप में हुई थी। स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि यहाँ के पत्रों एवं पत्रकारों ने ही तैयार की थी। आजादी की लड़ाई में पत्रकारिता देशभक्ति और समग्र राष्ट्रीय चेतना के साथ जुड़ी रही। इसमें देशभक्ति के अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी शामिल है। स्वाधीनता से पहले देश के लिए संघर्ष का समय था। इस संघर्ष में जितना योगदान राजनेताओं का था उससे तनिक भी कम पत्रों एवं पत्रकारों का नहीं था।

90 के दशक में भारतीय भाषाओं के अखबारों, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर आदि के नगरों-कस्बों से कई संस्करण निकलने शुरू हुए। जहाँ पहले महानगरों से अखबार छपते थे, भूमंडलीकरण के बाद आयी नयी तकनीक और यातायात के संसाधनों की सुलभता की वजह से छोटे शहरों, कस्बों से भी नगर संस्करण का छपना आसान हो गया। हिंदी के अखबार इन वस्तुओं के प्रचार-प्रसार का एक जरिया बन कर उभरा है। साथ ही साथ अखबारों के इन संस्करणों में स्थानीय खबरों को प्रमुखता से छापा जाता है। इससे अखबारों के पाठकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ सालों में हिंदी मीडिया ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। प्रिंट मीडिया को ही लें, आइआरएस रिपोर्ट देखें तो उसमें ऊपर के पांच अखबार हिंदी के हैं। हिंदी अखबारों और पत्रिकाओं का प्रसार लगातार बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिन्दी न्यूज चैनलों की भरमार है। भारत में 182 से ज्यादा हिन्दी न्यूज चैनल हैं। नई तकनीक और प्रौद्योगिकी ने अखबारों की ताकत और ऊर्जा का व्यापक विस्तार किया है।

किसी भी देश के विकास का संबंध भाषा से है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आजकल राजभाषा हिंदी अपनी सीमाओं से बाहर आ चुकी है। यह विकास, बाजार और मीडिया की भाषा भी बन रही है। पूरे भारत और भारत के बाहर हिंदी के द्रुत प्रचार-प्रसार और विकास का श्रेय मनोरंजन चैनल, समाचार चैनल, खेल चैनल और कई धार्मिक चैनल को दिया जा सकता है। अगर किसी भी देशी-विदेशी



कम्पनी को अपना उत्पाद बाजार में उतारना होता है तो उसकी पहली नजर हिंदी क्षेत्र पर पड़ती है क्योंकि उपभोक्ता शक्ति का वृहत्तम अंश हिंदी क्षेत्र में ही निहित है इसलिए उसका विज्ञापन हिंदी में ही होता है। दुनिया की एक बड़ी आबादी तक पहुंचने के लिए हिंदी की जरूरत पड़ेगी ही। हिंदी अखबारों, हिंदी पत्रिकाओं, हिंदी चैनलों, हिंदी रेडियो और हिंदी फिल्मों की जरूरत पड़ेगी ही। हिंदी माध्यमों का विकास होगा तो निस्संदेह हिंदी का भी विकास होगा। बाजार और मीडिया का विस्तार होगा तो हिंदी भी फैलेगी और जब तक बाजार और मीडिया है तब तक हिंदी मौजूद रहेगी। बाजार और मीडिया ने हिंदी जाननेवालों को बाकी दुनिया से जुड़ने के नये विकल्प खोल दिये हैं। फिल्म, टीवी, विज्ञापन और समाचार हर जगह हिंदी का वर्चस्व है।

वर्तमान युग हिंदी मीडिया का युग है।

मीडिया की विकास प्रक्रिया का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि मीडिया के विकास में 'भाषा' का स्थान महत्वपूर्ण है। भाषा विशेषज्ञों, तकनीशियनों और वैज्ञानिकों के परिश्रम से ही मीडिया का विकास हुआ है। भारतीय मीडिया का विचार किया जाए तो 'हिंदी भाषा' के बल पर ही भारतीय मीडिया जनसामान्य तक जा पहुँचा है। भारतीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास में हिंदी भाषा 'विश्वकल्याण' की भूमिका निभा रही है। भारतीय मीडिया और हिंदी भाषा वर्तमान में एक-दूसरे की विकास प्रक्रिया से जुड़कर समाज सुधार में सक्रिय है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि मीडिया और हिंदी भाषा दोनों निःसंदेह सामाजिक विकास की प्रक्रिया से जुड़े हैं। 'हिंदी भाषा' को माध्यम के रूप में स्वीकार कर प्रस्तुति देकर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना विकास किया है।

इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, फोटो, केबल, मल्टीमीडिया, कम्प्यूटर, उपग्रह संचार की 3जी, 4जी प्रणाली भारत में विकसित करने में 'हिंदी भाषा' केंद्र में रही है। "विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का लगातार प्रयोग बढ़ रहा है। राजभाषा प्रयोग के संबंध में 1960 में ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन ही वैज्ञानिक



और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गयी थी। विज्ञान और तकनीकी अलग-अलग नहीं है।" भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास में जनसंचार माध्यम भाषा के रूप में हिंदी भाषा केंद्रीय स्थान पा चुकी है। सृजनात्मक भाषा और संचार भाषा के रूप में हिंदी भाषा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सहयोग दे रही है। टेलीविजन न्यूज रूम से लेकर रेडियो और साइबर मीडिया तक का अध्ययन करने से पता चलता है कि विभिन्न साक्षात्कार, वृत्तचित्र, धारावाहिक, समाचार, निवेदन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विज्ञापन लेखन, विभिन्न ब्लॉग आदि के निर्माण में हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण परिलक्षित होती है। हम यह कह सकते हैं कि

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हिंदी दोनों ने मिलकर भारतीय सभ्यता, संस्कृति और वैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया को गतिमान बनाया है। "मौजूदा हाइटेक युग में एक छोटी-सी चिप (माइक्रोचिप) ने साइबर मीडिया के परिप्रेक्ष्य में जनसंचार माध्यमों के स्वरूप को कहीं अधिक बदल कर रख दिया है। माइक्रोचिप ने बड़े आकार के उपकरणों (टेलीविजन, कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर, वीडियो, कैमरा आदि) को जेब में डाल दिया है। मोबाइल में टेलीविजन देखा जा रहा है, एफ. एम. सुना जा रहा है, मोबाइल में कंप्यूटर समा रहा है, कंप्यूटर नोटबुक ने तब्दील हो रहा है, वाई फाई के जरिए नोटबुक पर कहीं भी इंटरनेट पर काम किया जा रहा है। भारतीय बहुभाषिकता का विचार किया जाय तो 'हिंदी भाषा' के कारण ही भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आम जनता तक पहुँच रहा है। बहुभाषाओं को साथ लेकर चलने की क्षमता हिंदी में होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिंदी का विस्तार तेजी से हो रहा है।

भारतीय भाषाओं में 'भाषा सौहार्द्र' स्थापित करने हेतु शुरू से हिंदी का योगदान रहा है। इस बात को भारतीय मीडिया विशेषज्ञों ने माना है। अतः भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास की प्रक्रिया में 'हिंदी भाषा' की उपयुक्तता को सर्वमान्यता प्राप्त हो चुकी है। हिंदी के कारण ही विभिन्न भाषाभाषी लोक भारतीय विकास की प्रक्रिया से जुड़े रहें हैं। "संपर्क भाषा के रूप में राजभाषा हिंदी की प्रौढ़ता स्वयं सिद्ध है। सैकड़ों वर्षों से हिंदी देश की जनता के बीच बोल चाल की

आम भाषा रही है। कहना आवश्यक नहीं कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेषज्ञों ने हिंदी का महत्व जानकर ही मीडिया विकास प्रक्रिया में हिंदी भाषा को केंद्र में रखा। वर्तमान में सर्वाधिक प्रगति जिन-जिन क्षेत्रों में हुई है उन्हीं में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अग्रणी है। मेहनती युवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रोजगार का विकल्प बन रहा है। हिंदी भाषा का अध्ययन करने वाले युवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। समाचार विश्लेषण, समीक्षा, विज्ञापन से जुड़े प्रसारण कार्य हिंदी भाषा के माध्यम में सर्वाधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिंदी भाषा का ज्ञान सबसे बड़ा गुण माना जा रहा है। हिंदी भाषा में अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नई हिंदी भाषा शैली और शब्दावली की जरूरत महसूस हो रही है। रेडियो दूरदर्शन, मल्टीमीडिया, एनिमेशन आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत हिंदी भाषा के माध्यम से अनेक कार्यक्रम दिए जा रहे हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हिंदी भाषा को और हिंदी भाषा ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नया जीवंत रूप देने का काम किया है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हिंदी भाषा ने अपनी शब्दावली का विकास स्वयं किया है। व्यापक अनुसंधान के बल पर हिंदी भाषा दिन-बदिन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मीडिया में दोषपूर्ण हिंदी भाषा के अनेक उदाहरण मिलने के बावजूद भी हिंदी का प्रयोग तेजी से हो रहा है। अतः मीडिया के लिए तकनीकी शब्दावली वर्तमान में आवश्यक बन रही है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के साथ हिंदी का भी विकास हो रहा है। भाषा कंप्यूटरीकरण का विचार किया जाए तो वर्तमान में हिंदी का कंप्यूटरीकरण अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में अधिक तेजी से हो रहा है। अतः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आवश्यक हिंदी के साधन सहज उपलब्ध होने के कारण हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। अनेक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन साधन हिंदी में उपलब्ध हैं। जैसे ई-महाशब्दकोश, शब्दमाल, लिप्यंतरण, डेटा कनवर्टर, विभिन्न फॉण्ट्स, लिपिक इन, अक्षरब्रिज, शब्दज्ञान, गोल्डेनडिक्ट आदि। अतः इन साधनों का भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रयोग कर आम जनता तक पहुँचने का सफल प्रयास किया हुआ दृष्टिगोचर होता है। हिंदी भाषा को केंद्र में रखकर मीडिया अपना विकास करने में सफल हुआ नजर आता है। “आज भारतीय

भाषाओं में सर्वाधिक फिल्में बनती हैं। इनमें भी हिंदी में सबसे अधिक। आज फिल्म मूलतः मनोरंजन और अंशतः शिक्षा का अत्यंत लोकप्रिय माध्यम है। नई प्रौद्योगिकी ने इस जन माध्यम में गुणात्मक परिवर्तन किए हैं।

सरकारी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत, स्कूलों, कालेजों आदि के कामकाज में हिंदी भाषा का कंप्यूटरी रूप व्यापकता से दृष्टिगोचर हो रहा है। भारतीय समाज हिंदी भाषा को चाहता है। इन सभी कारणों से हिंदी भाषा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास का आधार बन गई है। बीसवीं सदी के अंतिम दौर में वायुमंडलीय संचार परिवर्तन विश्व परिदृश्य पर पूरी तरह हावी हो रहा है। डिजिटल प्रणाली और फाइबर ऑप्टिक्स अब विभिन्न तकनीकों और सेवाओं को संचार प्रणाली से जोड़कर उसे संगठित कर रही है। सूचना क्रांति अभी बीच रास्ते में है और भारत इस मामले में पीछे नहीं है। वह सूचना समाज बनाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिस में संचार एवं संचार तकनीकी एक प्रमुख शक्ति होगी। भारत का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्कों में से एक है। संचार की इस परिदृश्य में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। कहना सही होगा कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिन-बदिन भाषा खास कर हिंदी भाषा का महत्व बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिंदी भाषा-शिक्षण को स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में देखा जाना मीडिया कालीन हिंदी सामर्थ्यशील बनने का ही उदाहरण है। भारतीय भाषाएँ नई सहस्राब्दि में विदेशी भाषाओं के समानांतर उन्नति कर रही हैं। हिंदी भाषा भी हम कालीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विश्व के साथ जुड़कर विदेशी भाषाओं के साथ-साथ भारतीय मीडिया में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही है। मीडिया के क्षेत्र में हिंदी का योगदान अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी जागरूक और अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होता है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुरू से हिंदी भाषा के व्यावहारिक प्रयोग को जारी रखने का प्रयास हुआ है। इक्कीसवीं सदी में हिंदी भाषा को संपूर्ण भारतीय मीडिया में प्रतिष्ठा की भाषा माना जाना मीडिया और हिंदी भाषा दोनों की दृष्टि से गौरव की बात है, इस में दो राय नहीं।

नीलम मल्होत्रा

प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

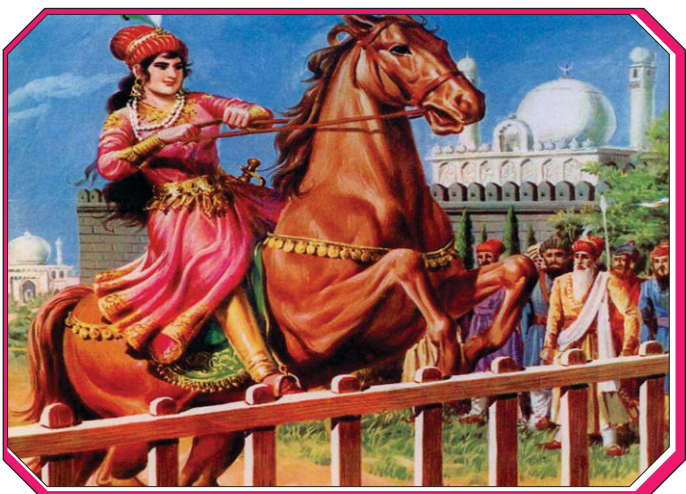


सुल्तान

सुल्ताना नहीं सुल्तान! 1206 ईसवी में अपनी स्थापना के समय सल्तनत-ए-हिंद ने शायद ही कभी कल्पना की हो कि एक ऐसा भी समय आएगा जब उस पर किसी महिला का शासन होगा। दिल्ली सल्तनत जिसे सल्तनत-ए-हिंद या सल्तनत-ए-दिल्ली भी कहा जाता है, ने भारतीय-इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए कुतुब मीनार, कुवत्त-ए-इस्लाम जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य भारत को दिए तथापि भारत की प्रथम व अंतिम महिला शासिका के रूप में एक अमिट इतिहास भी हस्तगत किया।

सल्तनत काल के भारतीय समाज में उस समय स्त्रियों की दशा संभवतः कुछ बाह्य आक्रमणों या पारंपरिक विकृतियों या तथाकथित धर्मावलंबियों के कारण अपेक्षाकृत ठीक नहीं थी। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में अत्यधिक गिरावट आ गई थी, नारी शिक्षा का लोप हो गया था और वह परंपराओं में जकड़ती चली गई। कुल मिलाकर समाज पुरुष प्रधान हो गया था और महिलाएं नेपथ्य में चली गई थी। इन विपरीत परिस्थितियों में किसी महिला का भारतीय राजनीति के केन्द्रीय स्तर दिल्ली सल्तनत पर शासन करना उसकी बौद्धिक वैचारिकता, सामर्थ्य, साहस और दूरदर्शिता को परिलक्षित करता है। एक लेख के अनुसार:

“मध्ययुगीन दुनिया में एक महिला के लिए शक्ति धारण करना दुर्लभ था। दिल्ली की रजिया की कहानी पढ़ना अविश्वसनीय लगता है, न केवल इसलिए कि उसे एक दायरे का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, बल्कि जिस तरह से उसने इसे बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी।”



भारतीय इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है क्योंकि दिल्ली सल्तनत के उस दौर में जब महिलाओं को महल से स्वच्छंद रूप से बाहर आने की अनुमति नहीं थी तब रजिया महल से बाहर आकर न केवल सत्तासीन हुई वरन शासन की जिम्मेदारी का सकुशल निर्वहन किया।



देवेन्द्र कुमार

भारतीय इतिहास में “रजिया सुल्तान” के नाम से प्रसिद्ध शासिका का वास्तविक नाम ‘रजिया-अल-दिन’ तथा शाही नाम ‘जलालत उद-दिन रजिया’ था। रजिया ने 1236 ई. से 1240 ई. तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया को उसके पिता शम्स-उद-दिन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश ने मृत्युशैया से ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इस निर्णय के साथ ही शम्स-उद-दिन इल्तुतमिश ऐसा प्रथम शासक बना जिसने किसी महिला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यह निर्णय उस समय बेहद असामान्य था और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रजिया की तुलना में कोई भी योग्य उत्तराधिकारी पुरुष नहीं था। रजिया के पिता ऐसे राजवंश का हिस्सा थे जो जन्म के स्थान पर योग्यता पर आधारित था। इल्तुतमिश को लगा कि उनके बेटे के स्थान पर उनकी पुत्री रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठने के योग्य है इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।

इल्तुतमिश, मध्य एशिया से भारत लाए गए तुर्क गुलाम थे जिसे कुतुब-उद-दीन ऐबक ने खरीद लिया। दास मूल के होने के पश्चात भी अपनी बहादुरी, कौशल, उत्कृष्ट सेवा-भावना तथा भारत में मुस्लिम शासन को मजबूत करने के कारण रजिया के पिता इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के शासक बनने में सफल हुए। एक तर्क यह है कि दास्ता से पूर्व इल्तुतमिश यूरेशिया में निवास करने वाली जनजातियों में से थे जहाँ महिलाओं को अधिक अधिकार प्राप्त होते थे और समाज में उनकी बड़ी भूमिका होती थी। संभवतः इसलिए समकालीन शासकों की तुलना में इल्तुतमिश को महिलाओं के सामाजिक मूल्यों की अधिक व व्यापक परख थी।

रजिया की जन्मतिथि को लेकर इतिहासकारों में एकमत नहीं है तथापि यह सर्वमान्य है कि रजिया का जन्म 1205 ई. में उत्तरप्रदेश के बदायूं



सबसे कम उम्र (19 वर्ष) में ऐवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला - **डिकी डोल्ला**

में हुआ। रजिया की माँ का नाम तुरकानखातून था, कहीं कहीं इनका नाम कुतुब बेगम भी मिलता है। नाना कुतुब-उद-दीन ऐबक से रजिया को बहुत स्नेह मिलता था। रजिया के जन्म के समय उनके पिता इल्तुतमिश बदायूँ के सूबेदार थे। जन्म के समय रजिया का नाम रजिया-अल-दिन रखा गया। रजिया जब पाँच वर्ष की थी तभी इनके नाना का देहांत हो गया। रजिया को शिक्षित करने में उसके पिता ने व्यक्तिगत रुचि ली। रजिया के पिता के भरोसेमंद गुलाम जलालुद्दीन याकूत ने उन्हें युद्ध कला में पारंगत किया था। भरोसेमंद गुलाम होने के साथ-साथ याकूत रजिया का शिक्षक भी था। पिता इल्तुतमिश ने रजिया का पालन-पोषण आधुनिक तरीके से किया। रजिया को बचपन से ही सैनिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक कार्यों का अभ्यास कराया गया ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका सहयोग लिया जा सके। अपने पिता के साथ प्रायः रजिया सैन्य उपक्रमों में जाया करती। रजिया की रुचि प्रशासनिक कार्यों में अपने पिता के समय से ही थी। मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में ही रजिया एक कुशल धनुर्धर और घुड़सवार बन गयी थी।

इल्तुतमिश ने प्रारंभ में अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था किंतु 1229 ई. में दुर्भाग्यवश कम उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई और सुल्तान के शेष पुत्र किसी प्रकार से शासन चलाने के योग्य नहीं थे। इल्तुतमिश ने पाया कि उसके सभी पुत्र विलासिता में लिप्त हैं जबकि उनकी पुत्री विभिन्न सैन्य प्रशिक्षण में बड़ी सक्रियता के साथ भाग ले रही है। सन 1231 ई. में जब पिता इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर गए तो अपनी अनुपस्थिति तक उन्होंने दिल्ली के शासन की बागडोर रजिया को सौंपा। ग्वालियर अभियान से जब वे वापस आए तो वे रजिया के कार्यों से अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए तथा इस अवसर पर एक संस्मारक मुद्रा भी उन्होंने जारी कराया जिसमें रजिया का नाम अंकित था। तुर्क अमीरों ने इसका विरोध किया और अर्थ यह निकाला कि पिता इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। इस पर इल्तुतमिश ने जवाब दिया “मेरे पुत्र भोग विलास में व्यस्त हैं और कोई भी शासन करने योग्य नहीं हैं, वे इस राज्य का शासन नहीं चला सकते। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि रजिया के शासन के समान कोई शासन नहीं कर सकता।”

ऐसा नहीं था कि पिता द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त करने के साथ ही रजिया को दिल्ली की गद्दी पर अधिकार मिल गया। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में ही 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे

‘तुर्कान-ए-चिहालगानी’ कहा जाता था। यह संगठन सुल्तान को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देता था लेकिन कुछ समय बाद इनकी भूमिका किंग-मेकर की बन गई। तुर्क अमीरों के साथ-साथ मुस्लिम वर्ग को भी किसी महिला का दिल्ली का शासक बनना और उसके नीचे काम करना नापसंद था। इल्तुतमिश द्वारा अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद भी उसकी इच्छाओं को नजरअंदाज किया गया। सन 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु पश्चात रजिया के सौतेले भाई रुकन-उद-दीन फिरोज को अप्रैल, 1236 ई. में दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। रुकन-उद-दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था। राजकार्यों में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह शासकीय धन का अपव्यय करता था। बदायूँ, मुल्तान, लाहौर, अवध और बंगाल में केंद्रीय सरकार की अवहेलना होने लगी। इस दौरान जनता में रुकनुद्दीन के प्रति आक्रोश और रजिया के प्रति सहानुभूति बढ़ रही थी।

माहिर कूटनीति का परिचय देते हुए रजिया ने जनता को अपने शब्दों से प्रभावित कर अपने पक्ष में एक वातावरण निर्मित किया जिसका लाभ भी उसे मिला। इतिहासकार ख्वाजा अब्दुल्लाह मलिक इसामी अपनी किताब ‘फतुहात-ए-सलातिन’ में लिखते हैं कि “रजिया फटेहाल में, मैले-कूचेले कपड़े पहने हुए शुक्रवार के नमाज के लिए एकत्र लोगों के सामने आकर अपनी पीड़ा सुनाया करती थी। रजिया का कहना था कि उनकी सौतेली माँ शाह तुरकान अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज के ताज के बहाने राज कर रही है। रजिया ने वहाँ मौजूद लोगों से अपनी सौतेली माँ की साजिशों का मुकाबला करने में अपने पिता के नाम पर मदद मांगी। रजिया को इस हालत में देकर और उनके प्रभावशाली शब्दों ने मौजूद लोगों पर तगड़ा प्रभाव डाला; इससे एक और आक्रमक कदम की शुरुआत हुई यानी दिल्ली के लोगों और रजिया के बीच एक संबंध की शुरुआत। इस घटना के बाद रजिया और आम लोगों के बीच एक सहमति बनी जिसके तहत उन्हें अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका मिलना था और अगर वो खुद को आदमियों से बेहतर साबित नहीं कर पाती तो उनका सिर कलम कर दिया जाना था।” अपने व्यक्तित्व की ताकत पर ही रजिया ने सुल्तान के पद पर स्थापित होने के लिए समर्थन प्राप्त किया। उसने तत्कालीन दिल्ली सुल्तान के विरुद्ध माहौल पैदा किया। बेहरवाह रुकन-उद-दीन के विरुद्ध जनता में आक्रोश इस हद तक बढ़ गया कि 9 नवंबर, 1236 में रुकन-उद-दीन फिरोज और उसकी माँ शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। रुकन-उद-दीन फिरोज का शासनकाल केवल छः महिने का ही रहा।



सौतेले भाई की हत्या के बाद 10 नवंबर, 1236 ईसवी को रजिया दिल्ली के सिंहासन पर बैठी और इसके साथ ही भारत में प्रथम महिला शासक होने के कयास ने मूर्त रूप ले लिया। सुल्तान बनने के बाद रजिया को शाही नाम 'जलालत-उद-दीन' दिया गया। रजिया ने घोषणा की कि उसे "सुल्ताना" नहीं "सुल्तान" बुलाया जाए क्योंकि वो खुद को किसी पुरुष से कम नहीं मानती थी। रजिया ने शक्तिशाली पुरुषों के माध्यम से शासन नियंत्रित करने के स्थान पर स्वतंत्र रूप से शासन चलाया। रजिया ने अपने नाम से सिक्के भी बनवाए जिन पर लिखा हुआ था "महिलाओं का स्तंभ, समय की रानी, शम्स-उद-दिन इल्तुतमिश की बेटी"। रजिया ने अपने सिक्कों पर 'उमदत-उल-निसवां' का खिताब धारण किया। एक सुल्तान की भांति रजिया ने कुबा (कोट) और कुलह (टोपी) पहनना शुरू किया। जनता व प्रशासन के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए रजिया ने खुले मुँह, पुरुषों का वस्त्र धारण करके दरबार में जाना प्रारंभ किया लेकिन दिल्ली के तुर्क अमीरों और तथाकथित मौलवियों को यह पसंद नहीं आया। दिल्ली के अमीर व दरबारी अपने ऊपर एक स्त्री का शासन होते देकर लगातार रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते।

रजिया के सत्ता संभालते ही सारी परिस्थितियाँ पहले की तरह हो गयीं। राज्य के वजीर निजाम-उद-दीन जुनैदी ने वफादारी करने से इंकार कर दिया और उसने कुछ तुर्क सामंतों जैसे बदायूं के इक्तादार इजाउद्दीन मुहम्मद सलारी, मुल्तान के इक्तादार कबीर खाँ अयाज, लाहौर के इक्तादार मलिक अयाउद्दीन जानी के साथ मिलकर सुल्तान पद से हटाने के लिए रजिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रजिया को मालूम था कि इक्तादार उस पर आक्रमण करने आएंगे। रजिया ने विद्रोहियों को शांत करने के लिए दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अपना शिविर लगाया। इस समय रजिया की सैनिक शक्ति ज्यादा सशक्त नहीं थी। रजिया ने एक बार फिर कूटनीति का परिचय देते हुए मुल्तान के इक्तादार कबीर खाँ अयाज को गुप्त रूप से अपनी ओर मिला लिया जिसकी खबर बाकी तुर्क सामंतों को मिल गई और वे अपना शिविर छोड़ कर भाग गए। लाहौर का इक्तादार मलिक अलाउद्दीन जानी मारा गया और कुछ तुर्क सामंत पकड़े गए। रजिया ने इस छोटे से युद्ध को जीत लिया जिससे उसकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। उत्तरी भारत व पंजाब पर भी उसका अधिकार स्थापित हो गया तथा बंगाल एवं सिंध प्रांतों के शासकों ने भी उसका अधिपत्य स्वीकार कर लिया।

इसके बाद रजिया ने सभी विरोधियों को हटाकर प्रशासन में अपने विश्वासपात्रों की नियुक्ति प्रारंभ कर दी। रजिया ने कबीर खाँ अयाज,

मलिक इख्तियार-उद-दीन-एतगीन, मलिक अल्तूनिया को क्रमशः लाहौर, बदायूं और तबर हिंद (बटिंडा) का इक्तादार नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त मलिक जलालूद्दीन याकूतखान को अमीर-ए-आखूर (अश्व प्रधान/घोड़े का सरदार) नियुक्त किया।

रजिया सुल्तान की सफलता से तुर्कों के शाही लोग नाखुश होने लगे और उन्हें यह कतई अच्छा नहीं लगा कि एक महिला सुल्तान की ताकत में इजाफा हो। मलिक याकूत, रजिया का सबसे विश्वासपात्र था लेकिन दिल्ली के कुछ अमीर इसे रजिया का प्रेमी मानते थे। याकूत खान गैर तुर्क था। अश्वप्रधान होने के कारण याकूत रजिया को घोड़े में बैठाने में मदद करता था या उसे बैठाता जिसके कारण याकूत को रजिया को छूने की इजाजत थी। रजिया ने तुर्क सामंतों की शक्तियों को विच्छिन्न करने और गैर तुर्क सरदारों को प्रोत्साहन व पदोन्नति देना प्रारंभ कर दिया और यही बात दिल्ली के तुर्क अमीरों को ठीक नहीं लगी। 'तुर्कान-ए-चिहालगानी' ने यह धारणा बना ली थी कि सभी महत्वपूर्ण पद तुर्कों के पास रहने चाहिए। साधारणता दिल्ली से होने वाले तुर्कों के शासन को ही दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। रजिया सुल्तान की सफलता और गैर तुर्कों से रजिया के नजदीकियों ने तुर्की वर्ग में रजिया के प्रति ईर्ष्या को जन्म दिया। उन्होंने विद्रोह करने के लिए एक साजिश किया। तुर्क अमीरों ने लाहौर के इक्तादार कबीर खाँ अयाज और बटिंडा के इक्तादार मलिक अल्तूनिया के साथ मिलकर रजिया के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। इस साजिश का मुखिया था मलिक इख्तियार-उद-दीन-एतगीन। षड्यंत्र के अनुसार 1240 ईसवी में कबीर खाँ ने लाहौर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया लाहौर गयी और वहाँ कबीर खाँ को पराजित कर पुनः राजधानी लौट आई। इसके बाद ही मात्र 15 दिनों के भीतर एक और विद्रोह हुआ जो बटिंडा के इक्तादार अल्तूनिया ने किया था। इस विद्रोह को शांत करने के लिए रजिया ने बटिंडा का रुख किया, रजिया के बटिंडा जाने के बाद दिल्ली में कुछ तुर्क अमीरों ने याकूत की हत्या करा दी क्योंकि उन्हें शक था कि मलिक याकूत, रजिया का प्रेमी है।

रजिया ने बटिंडा के इक्तादार अल्तूनिया पर आक्रमण कर दिया लेकिन इस युद्ध में रजिया की हार हुई और अल्तूनिया ने 12 अप्रैल 1240 ईसवी को रजिया को कैद कर लिया। इसके साथ ही महिला शासन का अध्याय औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। जब यह खबर दिल्ली के तुर्क अमीरों को मिली तो उन्होंने इल्तुतमिश के पुत्र और रजिया के भाई बहरामशाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। बहरामशाह ने लाहौर के इक्तादार मलिक अयाज और दिल्ली के कुछ तुर्क अमीरों को



महत्वपूर्ण पद से नवाजा लेकिन मलिक अलतुनिया को कोई पद नहीं दिया जिससे अलतुनिया नाराज हो गया। रजिया ने इस नाराजगी का भरपूर लाभ उठाया। अगस्त 1240 ईसवी में रजिया को कैद से मुक्त किया गया और रजिया ने अलतुनिया से निकाह कर लिया। विवाह के पश्चात रजिया ने राजपूत, जाट और खोखर जाति के लोगों की सेना के साथ मिलकर दिसंबर, 1240 ईसवी में बहराम शाह पर आक्रमण कर दिया। इस बार भी रजिया चूक गई और बहराम शाह ने रजिया व अलतुनिया की सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद रजिया और अलतुनिया वापस बटिंडा लौटने पर मजबूर हो गए। 25 दिसंबर, 1240 ई. में वापस लौटते समय कैथल (हरियाणा) के पास रजिया और अलतुनिया एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तभी कुछ डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी, कहा जाता है कि ये लोग बहराम शाह के भेजे हुए लोग थे। इसमें संशय है कि जब ये दोनों विश्राम कर रहे थे तब इनकी सेना इनसे दूर थी या सेना ने इनका साथ छोड़ दिया था।

रजिया के सफल शासक होने का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के तीन-तीन जगहों कैथल, दिल्ली और टोंक पर उसके कब्र होने का दावा किया जाता है जो इस वीरांगना की वीरता का स्मरण कराते हैं। इल्तुतमिश का अपनी पुत्री के लिए यह कथन कितना व्यापक और दूरदर्शी था कि “मेरी यह छोटी पुत्री कई पुत्रों से श्रेष्ठ है।” रजिया का शासनकाल लगभग 3 साल व 6 माह का रहा।

यदिप उसके शासनकाल की अवधि अपेक्षाकृत कम थी लेकिन उसके अनेक महत्वपूर्ण पहलू रहे। कम समय का शासनकाल रजिया की व्यक्तिगत असफलता नहीं थी। रजिया एक धार्मिक सुल्तान थी जिसने अनेक स्कूल, शिक्षा केन्द्र और पुस्तकालयों की स्थापना की जिसमें महत्वपूर्ण किताबों के साथ-साथ कुरान रखे गए। रजिया ने जब बटिंडा पर आक्रमण करने के लिए कूच किया था तब उसने रोजा रखा हुआ था जिससे यह पता चलता है कि एक शासक होने के साथ-साथ वह अपने धर्म के रीति-रीवाजों के प्रति निष्ठावान थी। इतिहासकार सिराज लिखते हैं कि “सुल्ताना रजिया महान शासक थी। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय तथा उदार, अपने राज्य की हितैषी, न्याय करने वाली, प्रजा की रक्षक तथा सेना की नेता थी। उसमें एक सुयोग्य राजा के सब गुण थे परंतु वह पुरुष वर्ग से नहीं थी और इसलिए पुरुषों की दृष्टि में उसके ये सब गुण व्यर्थ थे।” दो कारणों से रजिया का विरोध हुआ प्रथम वह एक स्त्री थी और दूसरा उसने समस्त शासन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। रजिया ने ‘तुर्क-ए-चहलगामी’ के एकाधिकार को भी तोड़ा। रजिया ने युद्ध में अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया और अनेक विजय प्राप्त की। बेहतर शासक होना पुरुष या स्त्री होने पर निर्भर नहीं करता, इस बात को रजिया ने अंततः सिद्ध कर दिखाया।

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग



उठो, जागो और
तब तक रुको
नहीं जब तक
मंजिल प्राप्त
न हो जाए।

युवा संयासी - स्वामी विवेकानंद

कार्टून कोना



प्रदीप राय
सेवानिवृत्त मुख्यप्रबंधक



कायाकल्प

झारखंड राज्य के कोडरमा जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली 12 साल की बच्ची है प्रीति। प्रीति स्कूल में बैठकर टीचर की बातें बड़े ही ध्यान से सुनती है क्योंकि अब वह स्कूल में पढ़ने लगी है लेकिन आज से ठीक 2 महीने पहले तक वह स्कूल का नाम तक नहीं जानती थी। आज से 2 महीने पहले प्रीति अपने गांव में बाकी सारे बच्चों के साथ मिलकर अभ्रक की खदानों में जाया करती थी। अभ्रक जिसे अंग्रेजी में माइका कहते हैं, बहुपयोगी खनिज है। अभ्रक का इस्तेमाल अक्सर मेकअप उत्पादों, पेंट एवं इंसुलेटर इत्यादि में किया जाता है। यह चमकीला खनिज पूर्वी भारत में बहुतायत में पाया जाता है।

झारखंड खनिज संपदा से भरा पूरा राज्य है और समृद्ध राज्य की मार झेल रहा है। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में प्रीति का बचपन उससे छिनता जा रहा था। प्रीति के गांव की तरह कोडरमा में और भी बहुत से गांव हैं जो गरीबी की मार झेल रहे हैं। प्रीति के गांव में बिजली पानी भी नाम मात्र के ही है। ना तो इनके घर में टीवी है ना अखबार और ना ही अन्य साधन। इनके गांव में सड़क भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया से और बाकी दुनिया इनसे कटी हुई है। बस एक कच्ची सड़क है जो गांव से बाहर निकल कर पक्की सड़क में मिल जाती है। घर की आमदनी बहुत ही मामूली है। बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा चल पाता है। प्रीति के मां बाप कभी खान में तो कभी ईट भट्टे पर काम करते और रोज कुंआ खोदना और पानी पीने की हालत से जुड़े थे। खान में काम करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है प्रीति के पास। कभी वह बेबसी से तो कभी खुशी से उसे खान में जाना ही

पड़ता है। प्रीति हर रोज अपने दोस्तों के साथ अभ्रक की खानों में अभ्रक चुनने जाया करती थी। यह खान बहुत खतरनाक होती हैं। इन की गहराई कभी-कभी 10 फीट से भी ज्यादा होती है। बाल मजदूरी बहुत ही आम है इस राज्य के गांव में। इन गांवों में रहने वाले बच्चे अपने भविष्य की

कभी कल्पना भी नहीं करते क्योंकि जब से इन सब ने होश संभाला है इन्होंने केवल और केवल चमकीली मिट्टी वाली खान ही देखी है। यहां की धरती ऐसी मानो आकाश के तारे जमीन पर आकर बिछ गये हों। लेकिन यहाँ रहने वाले लोग गरीबी से जूझते हुए, रूखी सूखी खाकर दहशत में जीते हुए। इन्हें हमेशा यही सिखाया जाता है कि सुबह उठते ही खान के अंदर जाना है और वहां से मिट्टी चुनकर बाहर लानी है और उन चुनी हुई मिट्टियों को अलग अलग छांट कर उनमें से अभ्रक चुनकर निकालना है। इन चुने हुए अभ्रकों को छोटी छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों को भारी दामों में बेच देते हैं जिनका बहुत

ही मामूली हिस्सा इन बच्चों को मिल पाता है। अभ्रक का 90% हिस्सा विदेश में निर्यात किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में इस्तेमाल होने वाले सौंदर्य प्रसाधनों की कमी नहीं है, आप कुछ भी उठा कर देख लीजिए हर एक उत्पाद में अभ्रक का इस्तेमाल बहुत ही धड़ल्ले से किया जा रहा है चाहे वह लिपस्टिक हो या फिर आईशैडो या कॉन्पैक। हमें चमकीली चीजें कुछ ज्यादा ही आकर्षित करती है इसलिए हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है जिनमें चमकीला ना हो।



रिंकी कुमारी

सारी दुनिया कहती है हार मान
लो लेकिन दिल धीरे से कहता है
एक बार और कोशिश कर
तू जरूर कर सकता है।



और हम यह नहीं जानते की इस चमक के पीछे न जाने कितने बाल मजदूरों का खून पसीना लगा हुआ है और न जाने कितने बच्चों की जाने उन अभ्रक की खदानों ने ली है। प्रीति भी इस अभिशाप से बची नहीं है। प्रीति के घर में उसके मां बाप के अलावा उसकी एक बड़ी बहन भी हुआ करती थी। प्रीति अक्सर उसके साथ अभ्रक की खदानों में जाया करती थी। उसकी बड़ी बहन ने ही उसे सिखाया कि किस तरह उसे खान के अंदर जाना है मिट्टी निकालनी है और बाहर आना है और किस तरह अपने आप को उन खानों में दबने से बचाना है क्योंकि आए दिन वहां कोई ना कोई घटना होती ही रहती थी कभी किसी बच्चे की पैर की हड्डी टूटती तो किसी का सर फटता था लेकिन इन खानों में जाना कम नहीं होता था। प्रीति अपनी बड़ी बहन के साथ काम करती, खेलती और सारा दिन गुजार देती। यही उनकी हर रोज की दिनचर्या थी। उस दिन भी प्रीति अपनी बड़ी बहन के साथ खान के अंदर गई हुई थी प्रीति की बहन ने उसे एक बड़ी टोकरी मिट्टी से लादकर थमा दी और उसे बाहर निकलने के लिए कह दिया और खुद अंदर खुदाई करने लगी प्रीति की बहन ने यह ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर जो टेढ़ी-मेढ़ी मिट्टी की छत है वह गिरने की हालत में है। प्रीति की बड़ी बहन को बस इतना पता था कि जितना ज्यादा वह मिट्टी निकालेंगी उतना ज्यादा वह दोनों उनमें से अभ्रक निकाल पाएंगे और उन्हें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। प्रीति खान के बिल्कुल बाहर जा चुकी थी और उसने थके हुए हाथों से टोकरी नीचे फेंकी तभी उसे चिल्लाने की आवाज आई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बहन मदद के लिए आवाज लगा रही थी। प्रीति की बहन आधे से ज्यादा मिट्टी में दबी हुई थी और लगातार मदद की गुहार लगा रही थी प्रीति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें तभी उसकी पड़ोसन ने उन दोनों की आवाज सुनी और दौड़ते हुए खान की तरफ आई उसने बहुत ही दम लगा कर प्रीति की बहन को बाहर निकाला और आस-पास के लोगों को इकट्ठा करके प्रीति की बहन को पास के अस्पताल में ले गये लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रीति का परिवार 2 दिन तक सदमे में रहा पर तीसरे दिन से उन्हें पता था

कि उन्हें वापस उन्ही खानों में जाना है। प्रीति ने डरते डरते खान में जाना शुरू किया क्योंकि अब वह पहले की तरह निडर नहीं थी अब उसके मन में एक डर समा गया था वह अब खान में जाना नहीं चाहती थी। वह यह काम करना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि उसे कभी भी उन मिट्टी की खानों में जाना ना पड़े। उसकी यह मासूम इच्छा कहीं तो स्वीकार हो चुकी थी। झारखंड राज्य की सरकार ने कैलाश सत्यार्थी की गैर सरकारी संस्था के साथ समझौता किया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन (केएससीएफ) ने झारखंड में बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के साथ हाथ मिलाया। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल-श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। उन्होंने 1980 में 'बचपन बचाओ' आन्दोलन की स्थापना की। इस संस्था ने बालमित्र गांव की स्थापना की जिसके तहत उन्होंने 100 से भी ज्यादा गांव का कायाकल्प कर दिया। प्रीति का गांव भी इन्हीं गांवों में से एक है।

इस संस्था ने प्रीति के गांव में भी स्कूल बनवाया है और सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया। अब इस गांव में कोई भी बच्चा बाल मजदूरी नहीं करता है। अब इस गांव के बच्चे एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। प्रीति भी अब बड़ी होकर शिक्षिका बनना चाहती है। वह चाहती है अपनी तरह बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की सहायता करना। अभी प्रीति ने केवल अक्षरों का ज्ञान ही लिया है पर वह खुश है क्योंकि उसे पता है कि वह बहुत जल्द लिखना पढ़ना सीख जाएगी और उसे वापस अब उन अभ्रक की खान में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रीति अपनी कक्षा की बेंच पर अकेली बैठी अपनी बड़ी बहन को बहुत ही याद करती है और सोचती है कि आज अगर उसकी बड़ी बहन उसके साथ होती तो दोनों साथ-साथ पढ़ रही होती। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में ही प्रीति को इतना पता है कि जीवन अमूल्य है। वह खुश है कि उसके जीवन का कायाकल्प हुआ। आज ना सिर्फ उसका बल्कि संपूर्ण गांव में परिवर्तन होना शुरू हो गया है।

प्रधान कार्यालय, अनुपालन विभाग



बंजारा

कभी ना खत्म होने वाले सफर और बिना किसी मंजिल की चाह के बंजारे अपनी पूरी जिंदगी लाखों-लाख मील तक सफर करते-करते अपनी पूरी जिंदगी यायावरी में निकाल देते हैं। बंजारों का न अपना कोई ठौर-ठिकाना होता है ना ही कोई घर-बार..... होता है तो सिर्फ उनका अपना कारवां जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और जानवर होते हैं जिनको लेकर ये दर-ब-दर घूमते हैं। इन लोगों को कभी किसी जगह से कोई लगाव नहीं होता। इनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। सदियों से ये समुदाय देश के दूर-दराज इलाकों में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता आ रहा है। दिन भर चलते-चलते साँझ होते ही कहीं भी डेरा डालकर रात बिता देना इनके जीवन की साधारण सी प्रक्रिया है। बंजारों का पशुओं से बेहद लगाव होता है यही कारण है कि वो अपने कारवां में अपने पालतू पशु जैसे बैल, बकरियाँ, गाय व शिकारी कुत्तों को रखते हैं। बैलगाड़ियाँ इनके काफिले का प्रमुख वाहन होता है जिनमें वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं व उनमें अस्थायी घर बनाकर रखते हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल की जाने वाले सामान वे रखते हैं। बंजारे कुछ खास चीजों के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं जैसे नृत्य, संगीत, रंगोली, कशीदाकारी, गोदना और चित्रकारी; जोकि इनकी आजीविका में भी काफी हद तक सहायक हैं। शहर में आम तौर पर सड़क किनारे टेंट में या फिर खुले में अस्थायी तौर पर कुछ लोग रहते दिख जाएंगे। कई बार ये लोग 2 से 3 दिन तो कई बार हफ्तों ऐसे ही समय गुजार देते हैं। ये बंजारे लोग ऐसे ही पूरा जीवन घूमते हुए गुजार देते हैं। महिलाएं तो इन जगहों पर पूरा दिन रहती हैं, जबकि पुरुष मेहनत-मजदूरी करने के लिए आस-पास के इलाकों में चले जाते हैं; कुछ पैसे इकट्ठा कर फिर अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाते हैं।

आम तौर पर बंजारे पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते हैं। कमीज या झब्बा पहनते हैं। धोती बांधते हैं। हाथ में नारमुखी कड़ा, कानों में मुरकिया व झेले पहनते हैं। अधिकतर ये हाथों में लाठी लिए रहते हैं। बंजारा महिलाएं बालों की फलियां गुँथकर उन्हें धागों में पिरोकर चोटी से बांध देती हैं। महिलाएं गले में सुहाग का प्रतीक दोहड़ा पहनती हैं। हाथों में चूड़ा, नाक में नथ, कान में चांदी के ओगन्या, गले में खंगाला, पैरों में कडिया, नेबरियां, लंगड, अंगुलियों में बिछिया, अंगूठे में गुछला, कमर पर करधनी या कंदौरा, हाथों में बाजूबंद, डोडिया, हाथ-पान व अंगूठियां पहनती हैं। कुछ महिलाएं घाघरा

और लहंगा भी पहनती हैं। लुगड़ी ओढ़नी ओढ़ती हैं। बूढ़ी महिलाएं कांचली पहनती हैं। मध्य भारत के बंजारों में एक विचित्र 'वृषपूजा' (बैल की पूजा) का भी प्रचलन है। बंजारे इस जानवर को 'हतादिया' (अवध्य) तथा 'बालाजी' का सेवक मानकर पूजते हैं, क्योंकि बैलों का कारवां ही इनके व्यवसाय का आधार होता है। बैलों की पीठ पर बोरियाँ लादकर चलने वाले 'लक्खी बंजारे' कहलाते थे। लोकगीत व लोकनृत्य बंजारों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कई फिल्मों में भी बंजारों पर गाने फिल्माए जा चुके हैं। इनमें से कई गीत तो सुपरहिट भी हुए हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। फिल्मी इतिहास में बहुत सी फिल्मों तो बंजारों की पृष्ठभूमि पर ही बनी हैं। कहते हैं कि जहां बंजारे अपना डेरा डालते थे, उनमें से कुछ स्थानों पर वे अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए जमीन में गाड़ देते थे। 'बड़द' बंजारे अधिकतर अपना पैसा गाड़ कर रखते थे। किसी जमाने में बंजारे देश के अधिकांश भागों में परिवहन, वितरण, वाणिज्य, पशुपालन और दस्तकारी से अपना गुजारा करते थे। छत्तीसगढ़ के बंजारे 'बंजारा' देवी की पूजा करते हैं, जो इस जाति की मातृशक्ति की द्योतक हैं। सामान्यतः ये लोग हिन्दुओं के सभी देवताओं की आराधना करते हैं। बंजारों का धर्म जादूगरी है और ये गुरु को मानते हैं। इनका पुरोहित 'भगत' कहलाता है। सभी बीमारियों का कारण इनमें भूत-प्रेत की बाधा, जादू-टोना आदि माना जाता है। इनके देवी-देवताओं की लम्बी तालिका में प्रथम स्थान मरियाई या महाकाली का है (मातृदेवी का विकराल रूप)। यह देवी भगत के शरीर में उतरती है और फिर वह चमत्कार दिखा सकता है। अन्य हैं- गुरु नानक, बालाजी या कृष्ण का बालरूप, तुलजा भवानी (दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तुलजापुर की भवानी माता), शिव भैया, सती, मिट्टू भूकिया आदि।

हैदराबाद की बंजारा हिल्स में कभी बंजारों की बस्ती हुआ करती थी। यहां अब सेठों, राजनेताओं, फिल्मी हस्तियों के आलीशान बंगले हैं। संपूर्ण भारत में बंजारों की कई उपजातियां भी हैं, जिनमें राजस्थान में बामणिया, लबाना, मारू भाट और गवारियां उपजाति हैं। जनसंख्या के लिहाज से 'बामणिया' बंजारों का सबसे बड़ा समुदाय माना गया है। बंजारा समुदाय हमेशा उत्पीड़न का शिकार



धवल सोलंकी



महिलाओं में सर्वाधिक बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली महिला - शबाना आज़मी

होता रहा है चाहे सामंतशाही व्यवस्था हो या अंग्रेजों का शासनकाल या फिर आजादी के बाद की सरकारी नीतियाँ हों। पहले बंजारा समाज का मुख्य व्यवसाय नमक का था। आजादी की लड़ाई में बंजारों के योगदान को हमेशा कमतर आंका गया है। घुमंतू होने की वजह से ये सूचनाओं के आदान-प्रदान का बेहद विश्वसनीय जरिया थे। बाद में अंग्रेजों ने बंजारा समुदाय को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए 31 दिसंबर 1859 को 'नमक कर विधेयक' थोप दिया। बंजारा समुदाय ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। गांधी जी के साथ 1930 में उन्होंने विरोधस्वरूप दांडी मार्च भी किया। अंग्रेजों के इस फैसले से नमक के व्यापारी बंजारों की कमर टूट गई। आखिरकार उन्हें अपना पैतृक नमक का व्यवसाय

बदलना पड़ा। उसके बाद से बंजारा समाज आज तक छोटे-मोटे काम करके ही जीवन-यापन करते हैं। बंजारा समुदाय के महिला-पुरुष गोंद, कंबल और चारपाई जैसे सामान बेचने को मजबूर हुए। कई को शहरों का रुख करना पड़ा। बंजारा समाज के लिए हर राज्य में अलग-अलग कानून बने हुए हैं। इसके चलते किसी राज्य में ये 'अनुसूचित जनजाति' में तो किसी में 'पिछड़ा वर्ग' में शामिल हैं। पूरे देश में एक समान कानून व्यवस्था न होने से ये समाज आज भी अलग-थलग पड़ा हुआ है। बंजारा समाज का इतिहास सदियों पुराना है।

बंजारा समाज की संख्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। एक अलग ही संस्कृति में जीने वाले इस समाज को अपनी विशिष्ट पहचान के लिए ही जाना जाता है। बंजारा राजस्थान का ऐसा घुमंतु समुदाय है जो अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचकर अपनी परंपरा को बहुत कुछ सुरक्षित रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बिजनौर, पीलीभीत, बरेली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, इटावा, मुरादाबाद, मथुरा, एटा, आगरा और मध्य प्रदेश के जबलपुर, छिन्दवाड़ा, मंडला तथा गुजरात के पंचमहाल, खेड़ा, अहमदाबाद व साबरकांठा क्षेत्रों में बंजारे काफी संख्या में दिख जाएंगे। कहते हैं कि

सबसे पहले राजस्थान से बंजारे बाहर निकले जो गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र-तेलंगाना होते हुए कर्नाटक तक गए। कुछ बंजारे मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश, पंजाब तक गए। बंजारों का इतिहास देखा जाए तो यह कौम निडर, निर्भीक, साहसिक, लड़ाकू और जुझारू रही है। इस समुदाय ने खुद को अन्य समुदाय से अलग रखा है। बंजारों की खासियत यह होती है कि ये किसी स्थान की सीमा को स्वीकार नहीं करते। बेधड़क, बेहिचक ये बढ़ते जाते हैं। बंजारों ने व्यापार के जरिए देश को विभिन्न भागों से जोड़ा है। राजस्थान में बंजारा समाज की दो प्रमुख खापें हैं, बड़द और लमाना। बड़द बंजारे यानि बैलों का व्यापार करते थे। दूसरे लमाना जिन्हें लम्बाना या लम्बानी भी कहते हैं। ये लवण यानि कि नमक का कारोबार वस्तु

विनिमय के आधार पर किया करते थे। भारत की सबसे सभ्य और प्राचीन संस्कृति सिंधु संस्कृति को माना गया है। इसी संस्कृति से जुड़ी हुई गोर- बंजारा संस्कृति है और इस गोर बंजारा समाज का अस्तित्व पूरी दुनिया में है और उन्हें अलग-अलग प्रांत में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में बंजारा, कर्नाटक में लमाणी, आंध्र में लंबाडा, पंजाब में बाजीगर, उत्तर प्रदेश में नायक समाज और बाहरी दुनिया में राणी नाम से जाने जाते हैं। लेकिन गोआर भाषा के मुताबिक, जो कि राजस्थानी व गुजराती भाषा का मिश्रण है। इससे यह तथ्य सही

लगता है कि बंजारों का मूल निवास राजस्थान ही है। बंजारा जाति के अधिकतर लोग नमक का व्यापार करते थे, जिसे स्थानीय भाषा में वे लून भी कहते हैं। लून शब्द से ही कुछ लोग लूनबाना अथा लुबाणा कहलाए। बंजारा मानवों का ऐसा समुदाय है जो एक ही स्थान पर बसकर जीवन-यापन करने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरन्तर भ्रमणशील रहता है। ये लोग अपना जन्म सम्बन्ध उत्तर भारत के ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ण से जोड़ते हैं। दक्षिण में आज भी ये अपने प्राचीन विश्वासों एवं रिवाजों पर चलते देखे जाते हैं, जो द्रविड़ वर्ग से मिलते-जुलते हैं।



स्त्री का शारीरिक सामर्थ्य भले ही कम हो, उसकी वाणी में असीम सामर्थ्य है। - लक्ष्मीबाई केलकर



बंजारे ही नहीं भारत में और भी समुदाय/जनजातियाँ हैं जो ऐसे ही घुमंतू जीवन बिताते हैं। ऐसे ही हमें किसी न किसी शहर के किनारे तंबू डाले कुछ परिवार दिख जाते हैं जिनका आज यहां, कल कहीं और बिस्तर के नाम पर जमीन, छत आसमान महीने-दो-महीने पर शहर बदल जाता है और शायद जिंदगी के रंग भी, लेकिन यह कहानी सैकड़ों सालों से बदस्तूर जारी है। यह कहानी है भारत के उन 6 करोड़ घुमंतू और विमुक्त जनजातियों की, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में यायावर कहते हैं।

अंग्रेजों के जमाने से ही इनकी छवि अपराधियों जैसी बनी हुई है। अंग्रेजी शासनकाल में तो इन्हें प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। इनके लिए एक काला कानून अंग्रेजों ने बनाया था, जिसका नाम था 'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871'। आजादी के बाद भी दो सालों तक इनकी सुध किसी ने नहीं ली। दो साल बाद इस कानून में संशोधन तो हुआ, लेकिन इनकी जिंदगी में संशोधन के नाम पर कुछ नहीं हुआ। 1949-50 में अनंतसयाम अयंगर के नेतृत्व में 'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट' के लिए इंकवायरी कमेटी बनी, जिसने इस एक्ट को खत्म करने की सिफारिश की थी। 1953 में लालबहादुर शास्त्री यवतमाल के बंजारा अधिवेशन में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने इस समुदाय के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व स्कॉलरशिप देने की बात कही थी। 1966 में दिल्ली में हुए बंजारा अधिवेशन में इंदिरा गांधी ने भी शिरकत की थी और यह आश्वासन दिया था कि इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर 31 मार्च, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी महाराष्ट्र के सोलापुर में विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति समुदाय की एक बैठक में शरद पवार के साथ शामिल हुए। इस बैठक में राजीव गांधी ने इस समुदाय को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण और शैक्षणिक सुविधा देने का आश्वासन दिया। हालांकि यह आश्वासन भी मात्र आश्वासन ही बनकर रह गया।

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन के शासनकाल में तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी महाराष्ट्र के पंढरपुर में विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लाखों लोगों की एक रैली में पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड एंड नोमाडिक ट्राइब्स (विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग) बनाने की घोषणा की। यह आयोग बना भी, लेकिन इसके अस्तित्व में आने के बावजूद इस समुदाय का कोई भला हुआ हो, ऐसा कोई उदाहरण

नहीं मिलता। यह खुद आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी रिपोर्ट पर सरकार के रवैये से ही पता चल जाता है। विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर इस आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बताया गया है कि इस समुदाय के लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में अस्थायी आश्रय स्थल, तंबू या खाली जमीन पर रहते हैं। इनके पास स्थायी पता नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें घर के लिए जमीन आबंटित करने में भी मुश्किलें आती हैं। इनके पास न तो अपने परिचय का कोई सबूत है और न संपत्ति का स्वामित्व का; नतीजन इनका राशनकार्ड भी नहीं बन पाता है और न ही ये बीपीएल कोटे में शामिल हो पाते हैं। जाति-प्रमाणपत्र मिलने में भी इन्हें काफी मुश्किलें आती हैं और इसी कारण ये सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाते। यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, लेकिन इस पर सरकार ने अब तक क्या किया है, इसका कुछ अता-पता नहीं। खुद इस आयोग के पूर्व चेयरमैन ने कहा है कि डेढ़ साल बाद भी इस रिपोर्ट पर सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जाहिर है, इनकी भलाई के लिए जो थोड़े-बहुत प्रयास हुए, घोषणाएं हुईं, वे सब कागजों तक सीमित रह गए। इनकी बदनसीबी का आलम तो यह है कि आजादी के 73 सालों के बाद भी न तो इनकी जनगणना हुई है और न ही इन्हें कोई सरकारी सुविधा मिली। उल्टे पुलिस-प्रशासन की निगाहों में इनकी छवि अपराधियों की बनी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति समुदाय की अलग से जनगणना के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा था, इसके अलावा यह भी सवाल उठता है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में फैले विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों के 6.50 करोड़ लोगों की जनगणना आखिर सरकार कैसे कराएगी, क्योंकि अब तक सरकार यह साफ नहीं कर सकी है कि इस तरह की जनगणना की रूपरेखा क्या होगी। बहरहाल, अगर सरकार सचमुच विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति समुदाय के 6.50 करोड़ लोगों की भलाई के लिए चिंतित है और 2021 की जनगणना के उन्हें शामिल करती है तो यह स्वागतयोग्य कदम माना जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ जनगणना कराने भर का नहीं है। सवाल उस मानसिकता का भी है, जिसकी वजह से पुलिस हो या आम आदमी, इस समुदाय विशेष को एक अलग नजरिए से देखता है। जरूरत इस नजरिए में बदलाव लाने की भी है।

आँचलिक कार्यालय, बठिण्डा



शिक्षा ही स्त्री का गहना है - सावित्रीबाई फुले

हिंदी कार्यशाला



प्रधान कार्यालय में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सहभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री अमित श्रीवास्तव।

मानव की व्यथा

सुलभ जीवन, कांतिमय काया,
 स्नेह की शीलनता, नम्रता की छाया।
 वाह रे मानव, क्या तूने जीवन पाया
 बाल-काल की चंचलता से,
 अपनी जननी को हँसाया,
 और मातृ सुख की खातिर,
 अपनी ही नेत्रों के रूलाया।
 वाह रे मानव, क्या तुने जीवन पाया।
 ममता की छाँव से निकलकर, जब युवा-मन भ्रमाया

तब हृदय, की अन्तःस्थिति पर, पड़ी किसी नेत्र की माया।
 वाह रे मानव, क्या तूने जीवन पाया।
 सुख और दुःख की तुला पर,
 संपूर्ण जीवन यूँ ही गंवाया।
 जीवन के अवसान घड़ी पर, याद आ गयी ब्रह्म की माया।
 वाह रे मानव, क्या तूने जीवन पाया।
 शिथिल देह और क्रंदन से,
 जब छूटी ये जगत् की छाया, स्वकर्मों के साथ चल पड़ी,
 अब तेरी ये निर्मल काया। वाह रे मानव, क्या तूने जीवन पाया।

सत्यांश श्रीवास्तव, आंचलिक कार्यालय फरीदकोट



महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएँ शक्तिशाली बनती हैं जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिये उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है।

सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। महिला और पुरुष के बीच की असमानता कई समस्याओं को जन्म देती है जो राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा के रूप में सामने आ सकती हैं। ये महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर महत्व मिले। वास्तव में सशक्तिकरण को लाने के लिये महिलाओं को अपने

अधिकारों से अवगत होना चाहिए। न केवल घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारियों बल्कि महिलाओं को हर क्षेत्रों में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें अपने आस-पास और देश में होने वाली घटनाओं को भी जानना चाहिए।

भारत में महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्यों है ?

महिला सशक्तिकरण की जरूरत इसलिये पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष-प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है। महिलाओं के लिये प्राचीन काल से समाज में चले आ रहे गलत और पुराने चलन को नए रीति-रिवाजों और परंपरा में ढाल दिया गया था। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिये माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में, महिला को देवी के रूप में पूजने की परंपरा है लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि केवल महिलाओं को पूजने भर से देश के विकास की जरूरत पूरी हो जायेगी। आज जरूरत है कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्त किया जाए जो देश के विकास का आधार बनेगी।

पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिये सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए हैं। हालाँकि ऐसे बड़े विषय को सुलझाने के लिये महिलाओं सहित सभी का लगातार सहयोग की जरूरत है। आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर ज्यादा जागरूक है जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्वयं-सेवी समूह और एनजीओ आदि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। महिलाएँ ज्यादा खुले दिमाग की होती हैं और सभी आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिये सामाजिक बंधनों को तोड़ रही हैं हालाँकि अपराध इसके साथ-साथ चल रहा है।



कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये संसद द्वारा पास किये गये कुछ अधिनियम हैं- समान पारिश्रमिक एक्ट 1976, दहेज निषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, लिंग परीक्षण तकनीक (नियंत्रक और गलत इस्तेमाल के रोकथाम) एक्ट 1994, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013.

भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं निम्न हैं-

- 1) सामाजिक मापदंड
- 2) कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण
- 3) लैंगिक भेदभाव
- 4) भुगतान में असमानता
- 5) अशिक्षा
- 6) बाल विवाह
- 7) महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध
- 8) कन्या भ्रूणहत्या



इतिहास में जो कुछ अनाम है, वह औरतों के नाम है - **वर्जीनिया वुल्फ**

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलायी जाती हैं। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। इन्हीं में से कुछ मुख्य योजनाओं के विषय में नीचे बताया गया है।

1) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015

इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने के साथ साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना है।

2) महिला हेलपलाइन योजना

3) प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना 2016

इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना है।

4) महिला शक्ति केंद्र

5) पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

6) किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) अप्रैल 2011

इस कार्यक्रम के तहत भारत के 11-18 आयु वर्ग की किशोरियों की देखभाल 'समेकित बाल विकास परियोजना' के अंतर्गत की जा रही है।

7) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

8) स्वाधार घर योजना 2001-02

इस योजना का उद्देश्य वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, रिहा कैदी, विधवाओं, तस्करी से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं,

मानसिक रूप से विकलांग और बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करना है।

9) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम 1986-87

इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का कौशल विकास कराकर उनको इस लायक बनाना है कि वे स्व-रोजगार या उद्यमी बनने का हुनर प्राप्त कर सकें। इस योजना के अंतर्गत 16 वर्ष या उससे अधिक की लड़कियों/महिलाओं का कौशल विकास करना है।

10) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना 2004

यह योजना वर्ष 2004 से उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम हो।

उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए हर तरह के प्रयास काफी लम्बे समय से करती आ रही है और यही कारण है कि आज समाज में महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत तरह के बदलाव भी दिखायी देने लगे हैं। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज ना करायी हो। यह उम्मीद भी की जाती है कि आगे आने वाले समय में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना और किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) के सकारात्मक परिणाम सभी के सामने आयेंगे। जिस तरह से भारत तेजी से आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमें महिला सशक्तिकरण के इस कार्य को समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसी के द्वारा ही देश में लैंगिंग समानता और आर्थिक तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है।

अलीमुद्दीन सिद्दीकी
शाखा हाथरस, (उ.प्र.)

सम्मान प्रतिष्ठा
और प्यार,
महिला सशक्तिकरण
के है आधार।

महिलाएं है
देश की तरक्की का
आधार, उनके प्रति
बदलो अपने
विचार।

जहाँ तक स्त्रियों के अधिकारों का सवाल है मैं कोई समझौता नहीं करूंगा - महात्मा गाँधी



हमारी परंपरा हमारी पहचान

सभी जानते हैं कि 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे मनाया जाता है। हमारे बैंक ने भी इस परंपरा में एक नयी शुरुआत की और इस दिन को अपने ऐसे ग्राहकों के साथ मनाया जो कि वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आते हैं। तकरीबन 30 ऐसे ग्राहक जो कि वर्षों से बैंक से जुड़े हुए हैं जिनमें कुछ बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी थे, ने भाग लिया।



(शाखा प्रबंधक श्री प्रेमशंकर सिंह सभी ग्राहकों को संबोधित करते हुए, मध्य में बैठे हैं बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉ. फरीद अहमद जी तथा दायीं ओर हैं आंचलिक प्रबंधक श्री गोपाल कृष्ण जी)



कार्यक्रम का आयोजन बैंक की राजेंद्र प्लेस शाखा में शाखा प्रबंधक श्री प्रेम शंकर सिंह द्वारा किया गया। बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉ. फरीद अहमद जी तथा आंचलिक प्रबंधक श्री गोपाल कृष्ण जी ने भी सहभागिता की और अपने संस्मरण साझा किए।

सभी वरिष्ठ नागरिकों का स्वागत फूलों से किया गया। केक काटा गया तथा नाश्ते का भी प्रबंध किया गया। प्रसाद नगर रेजिडेंट वेलफेयर वरिष्ठ नागरिक क्लब के अध्यक्ष श्री प्राणनाथ गोस्वामी, प्रसाद नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान श्री चमन सरदाना ने भी बैंक से संबंधित अपने संस्मरण साझा किए। सुश्री अचला आहूजा (सेवानिवृत्त अधिकारी) ने भजन भी सुनाया। सभी ने बैंक की इस पहल की और श्री प्रेमशंकर सिंह जी के संयोजन की सराहना की। अंत में शाखा प्रबंधक श्री प्रेम शंकर सिंह ने सभी अतिथियों तथा उच्चाधिकारियों का धन्यवाद किया और सभी ग्राहकों को यह आश्वासन भी दिया कि बैंक द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम हर वर्ष इसी दिन शाखा के समस्त कार्मिकों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहेगा।



(डॉ. फरीद अहमद, कार्यकारी निदेशक महोदय ग्राहकों को संबोधित करते हुए, साथ हैं आंचलिक प्रबंधक श्री गोपाल कृष्ण जी तथा सहायक महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन विभाग) श्री अशोक अरोड़ा जी)



नारी ही परिवार और समाज की केन्द्रबिंदु है - स्वामी विवेकानंद

प्रधान कार्यालय में पुस्तकालय का शुभारंभ



प्रधान कार्यालय में पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया जिसका उद्घाटन कार्यकारी निदेशक श्री गोविंद एन. डोंग्रे जी ने किया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. हरिशंकर जी, कार्यकारी निदेशक डॉ. फरीद अहमद जी, महाप्रबंधक (मा.सं.वि. विभाग) श्री जयंत कुमार नायक के साथ बैंक के उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहे।

आंचलिक कार्यालय दिल्ली - II



बैंक के आंचलिक कार्यालय दिल्ली-2 में नवीनीकरण/सुसज्जकरण कार्य संपन्न होने के बाद सुसज्जित परिसर का उद्घाटन करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य उच्चाधिकारीगण।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

बैंक के विभिन्न उत्पाद, हर आवश्यकता के लिए

- ❖ पीएसबी अपना घर योजना
- ❖ पीएसबी अपना वाहन योजना
- ❖ देश तथा विदेश में उच्च शिक्षा के लिए पीएसबी शिक्षा ऋण योजना
- ❖ पीएसबी मॉर्गेज ऋण योजना
- ❖ पीएसबी व्यापार ऋण योजना
- ❖ पीएसबी एसएमई लिक्विड प्लस ऋण योजना
- ❖ पीएसबी कॉन्ट्रेक्टर प्लस योजना
- ❖ पीएसबी कृषि विकास मित्र योजना
- ❖ डॉक्टरों के लिए विशेष ऋण योजना
- ❖ पी एण्ड एस बैंक वाणिज्यिक वाहन योजना
- ❖ पंजाब एण्ड सिंध बैंक स्वर्ण ऋण योजना
- ❖ वेतन तथा पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए पीएसबी व्यक्तिगत ऋण योजना
- ❖ वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुखमनी योजना
- ❖ पीएसबी उत्कृष्ट - प्रीमियम संस्थाओं (आई.आई.एम., आई.आई.टी तथा आई.एस.बी. (हैदराबाद) के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण ऋण योजना
- ❖ शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए मॉडल ऋण योजना
- ❖ पीएसबी रेंट रिसीवेबल योजना

किसी भी योजना के अंतर्गत ऋण योजना प्राप्त करने हेतु नज़दीकी शाखा में पधारें।